

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्
CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE

(भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 के अधीन गठित)
(Constituted Under Indian Medicine Central Council Act, 1970)

वार्षिक प्रतिवेदन और परीक्षित लेखा
1997-98

Annual Report and Audited Accounts
1997-98



61-65 इन्स्टीट्यूशनल एरिया, जनकपुरी



नई दिल्ली - 110058

61-65 INSTITUTIONAL AREA, JANAKPURI


NEW DELHI-110058

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्


कार्यकारिणी समिति



अध्यक्ष



निबन्धक एवं सचिव



भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् नई दिल्ली-110 058

वर्ष 1997-98 का वार्षिक प्रतिवेदन

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 के अधीन भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना असाधारण भाग-II धारा 3 (II) दिनांक 10-8-71 के द्वारा गठित एक सांविधिक निकाय है। केन्द्रीय परिषद् का पुनर्गठन 1984 और 1995 में हुआ। केन्द्रीय परिषद् के मुख्य प्रयोजन निम्न हैं :

1. भारतीय चिकित्सा पद्धति यथा आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षा के न्यूनतम मानक विहित करना।
2. भारतीय चिकित्सा पद्धति की चिकित्सीय अर्हताओं की मान्यता/मान्यता को वापिस लिये जाने से सम्बन्धित विषयों पर केन्द्र सरकार को परामर्श देना।
3. भारतीय चिकित्सा पद्धति की केन्द्रीय पंजिका का रख-रखाव और समय-समय पर उसे परिशोधित करना तथा भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् के चिकित्साभ्यासियों के आचरण एवं शिष्टाचार तथा आचार संहिता के मानक विहित करना।

स्थापना वर्ष 1971 से ही केन्द्रीय परिषद् स्नातकीय और स्नातकोत्तर स्तरों पर भारतीय चिकित्सा पद्धति अर्थात् आयुर्वेद, सिद्ध एवं यूनानी की पाठ्यविधि एवं पाठ्यविवरण सहित विभिन्न विनियमों को जारी एवं लागू करती रही है।

भारतीय चिकित्सा पद्धति के लगभग समस्त महाविद्यालय देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध हैं। ये महाविद्यालय परिषद् द्वारा विहित शिक्षा के न्यूनतम स्तर जिसमें पाठ्यविधि एवं पाठ्यविवरण सम्मिलित है का अनुसरण कर रहे हैं।

केन्द्रीय परिषद् ने पूर्व में विहित पाठ्यविधि और पाठ्यविवरण की पुनरीक्षा करने का निर्णय लिया। यह निर्णय लिया गया कि आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी तिब्ब के विभिन्न विषयों के पाठ्यविवरण और पाठ्यविधि के पुनरीक्षा उद्देश्य से कार्यशालाएं आयोजित की जाएं।

वर्ष के दौरान आयुर्वेद की चार और यूनानी की चार कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं। सिद्ध शिक्षा पर शीघ्र ही कार्यशाला आयोजित की जायेगी।

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् ने भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (भारतीय चिकित्सा पद्धति के महाविद्यालयों में प्रवेश तथा शुल्क हेतु मार्ग-निर्देशों के मानक) विनियम को अनुमोदित किया।

भारतीय चिकित्सा की केन्द्रीय पंजिका

भारतीय चिकित्सा की केन्द्रीय पंजिका को तैयार करना और उसका रख-रखाव केन्द्रीय परिषद् के मुख्य कार्यों में से एक है। भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय अधिनियम, 1970 के

प्रावधानानुसार केन्द्रीय परिषद् विहित पद्धति में भारतीय चिकित्सा की एक पंजिका अनुरक्षित कर रही है जिसमें उन सभी व्यक्तियों के नाम हैं जो किसी भी भारतीय चिकित्सा के राज्य रजिस्टर में नामावलिगत हैं और भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की अनुसूचियों में समाविष्ट मान्यता प्राप्त चिकित्सीय अर्हताओं में से कोई भी रखते हैं। केन्द्रीय परिषद् भारतीय चिकित्सा के केन्द्रीय रजिस्टर को अनुरक्षित करती है और उसका अद्यतन करना एक अनवरत प्रक्रिया है।

परिषद् द्वारा अध्ययन हेतु शिक्षा के न्यूनतम स्तर और पाठ्यविधि निर्धारित किए जा चुके हैं। परिषद् देश की शैक्षिक संस्थाओं में उपलब्ध स्तरों की सही जानकारी के सत्यापन हेतु इन महाविद्यालयों में सदस्यों का दल भेजती है। ये दल कमियों को इंगित करते हुए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। इन कमियों को निश्चित अवधि में पूरा करने के लिए अथवा अगले सत्र में प्रवेश बन्द करने के लिए संस्थाओं को निर्देश भेजे जाते रहे हैं। परिणामस्वरूप भारतीय चिकित्सा पद्धति के महाविद्यालयों के स्तर में सुधार हो रहा है।

भारतीय चिकित्सा पद्धति के महाविद्यालयों के वर्तमान स्तर का आकलन करने हेतु भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा सामूहिक परिदर्शन करने का निर्णय लिया गया। इसके अनुपालनार्थ केन्द्रीय परिषद् द्वारा विहित न्यूनतम स्तरों और आवश्यकताओं के अनुरूप शैक्षिक और क्रियात्मक प्रशिक्षण एवं साज-सज्जा हेतु उपलब्ध सुविधाओं का आकलन करने हेतु वर्ष के दौरान आयुर्वेद के 108 और यूनानी के 30 महाविद्यालयों का परिदर्शन किया गया।

प्रशासनिक प्रतिवेदन

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् की संरचना

तृतीय गठित केन्द्रीय परिषद् के निम्न सदस्य हैं :-

आयुर्वेद

1. डॉ० मेरी वमन रेड्डी
2. डॉ० शिवानन्दम
3. डॉ० गजेन्द्र भराली
4. डॉ० देवव्रत नारायण सिंह
5. डॉ० महेश्वर पांडे
6. डॉ० इन्द्रमोहन झा
7. डॉ० अलख नारायण सिंह
8. डॉ० ओमप्रकाश वशिष्ठ
9. डॉ० पटेल अरविन्द केशवलाल
10. डॉ० भूपतानी रमेशचन्द्र
11. डा० पवन कुमार वशिष्ठ
12. डॉ० देवनारायण शर्मा
13. डॉ० रुद्रमणि शर्मा

14. डॉ० ज्ञानचन्द्र
15. डॉ० जयप्रकाश नारायण
16. डॉ० एस० वी० सावदी
17. डॉ० के० राजगोपालन
18. डॉ० डी० रामनाथन
19. डॉ० रणवीर सिंह परिहार
20. डॉ० प्रमोद कुमार जैन
21. डॉ० राजेश शुक्ल
22. डॉ० सतीशदत्त गर्ग
23. डॉ० ज्ञानकुमार अहूजा
24. वैद्य शाहकिशन विठ्ठल दास
25. वैद्य रमेश कृष्ण यादव
26. वैद्य एन. वी. साल्गरकर
27. डॉ० घनश्याम मिश्र
28. वैद्य जगजीत सिंह
29. डॉ० मुकेश वालिया
30. वैद्य वेदप्रकाश त्यागी
31. वैद्य महेन्द्र कुमार शर्मा
32. वैद्य रघुनन्दन शर्मा
33. डॉ० पी० नारायणन
34. डॉ० मुकेश शर्मा
35. डॉ० पातंजलि द्विवेदी
36. डॉ० वाचस्पति त्रिवेदी
37. डॉ० भृगुपति पांडेय
38. डॉ० किशोर मोहन
39. डॉ० स्वप्न कुमार भूनिया
40. डॉ० रमेश चन्द्र भट्टाचार्य
41. डॉ० एन० के चावला
42. डॉ० आर० बी० जैन
43. डॉ० के० आर० रामचन्द्रन
44. डॉ० पी० के० वारियर
45. डॉ० के० के० पाण्डे
46. डॉ० आनन्द स्वरूप उपाध्याय
47. डॉ० टी० एम० पवार
48. डॉ० आर० वी० सहगोरा
49. वैद्य दीनानाथ आर० उपाध्याय
50. वैद्य गोविन्द प्रसाद उपाध्याय
51. वैद्य रोहीदास सम्भु पाटिल

52. वैद्य श्री मोहन नारायण ताम्बे
53. डॉ० कैलाश चन्द्र पाधी
54. वैद्य रामभरोसी मिश्र
55. डॉ० डी० अथस्यराज
56. डॉ० लक्ष्मी नारायण मैती
57. डॉ० टी० किशन
58. वैद्य एस० पी० भट्टाचार्य
59. डॉ० एस० एन० परचूरे
60. वैद्य आई संजीवा राव
61. वैद्य एस० के० शर्मा
62. वैद्य एस० के० मिश्र
63. वैद्य देवेन्द्र कुमार त्रिगुणा
64. वैद्य जी० एल० चानना
65. प्रो० कुलवन्त सिंह
66. प्रो० आर० भरत राजन
67. वैद्य श्रीराम शर्मा
68. वैद्य शिवकरण शर्मा छांगाणी
69. वैद्य संजय जनार्दन तिलक
70. वैद्य अब्दुल वहीद
71. डॉ० वेदव्रत शर्मा
72. डॉ० सी० एच० एस० शास्त्री
73. वैद्य हरिनारायण स्वामी
74. वैद्य बी० वैद्यनाथन
75. प्रो० ज्योतिर्मित्र
76. वैद्य साधना मिश्र
77. वैद्य बालेन्दु प्रकाश

सिद्ध

78. डॉ० वी० स्टेनले जोन्स
79. डॉ० एस० गोपालकृष्णन
80. डॉ० वी० अरुणाचलम
81. डॉ० एम० ए० कुमार

यूनानी

82. डॉ० एस० एस० रावत
83. हकीम फारूक अहमद अब्दुल अजीज
84. डॉ० विनोद पुण्डीर
85. डॉ० बन्सीलाल पंडित
86. प्रो० हकीम एस० शाजी हैदर

87. डॉ० मोहम्मद अख्तर मसूद सिद्दीकी
88. प्रो० हकीम अब्दुल मोबिन खान
89. हकीम वेद प्रकाश शर्मा
90. हकीम सऊद अली खान
91. डॉ० के० शाफी उल्लाह खान
92. हकीम शमीम अहमद
93. हकीम हाफिज एस० हबीबुरहमान
94. हकीम सैय्यद फैजान अहमद
95. प्रो० जमील अहमद
96. डॉ० सैय्यद शाहबुल हक
97. प्रो० हकीम शेख मोहम्मद अरशद
98. डॉ० एम०ए० लारी
99. हकीम अब्दुला
100. हकीम सैय्यद इमामुद्दीन अहमद
101. डॉ० अबू बकर खान
102. डॉ० मदन सरूप गुप्ता
103. हकीम ए०जे० खान
104. हकीम (श्रीमती) अलिया अमान
105. डॉ० रामदिता शर्मा
106. प्रो० एस० खलीफथुल्लाह
107. हकीम शेफुद्दीन अहमद

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् के निम्न पदाधिकारी हैं : -

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| 1. वैद्य श्रीराम शर्मा | - अध्यक्ष |
| 2. वैद्य पं० शिवकरण शर्मा छांगाणी | - उपाध्यक्ष (आयुर्वेद) |
| 3. डॉ० वी० अरुणाचलम | - उपाध्यक्ष (सिद्ध) |
| 4. प्रो० हकीम अब्दुल मोबिन खान | - उपाध्यक्ष (यूनानी) |
| 5. वैद्य देवेन्द्र कुमार त्रिगुणा | - सदस्य (कार्यकारिणी समिति) |
| 6. डॉ० प्रमोद कुमार जैन | - सदस्य (कार्यकारिणी समिति) |
| 7. डॉ० शिवानन्दनम | - सदस्य (कार्यकारिणी समिति) |
| 8. वैद्य रघुनन्दन शर्मा | - सदस्य (कार्यकारिणी समिति) |
| 9. डॉ० एम० ए० कुमार | - सदस्य (कार्यकारिणी समिति) |
| 10. डॉ० मदन सरूप गुप्ता | - सदस्य (कार्यकारिणी समिति) |
| 11. हकीम शेख मोहम्मद अरशद | - सदस्य (कार्यकारिणी समिति) |

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 9 के अनुसार केन्द्रीय परिषद् की निम्न मुख्य समितियां हैं : -

1. आयुर्वेद समिति
2. सिद्ध समिति
3. यूनानी समिति

उपर्युक्त समितियां भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (क) और (ख) के अधीन निर्वाचित और खण्ड (ग) के अधीन मनोनीत आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी तिब्ब चिकित्सा पद्धति का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों से युक्त हैं।

धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी तिब्ब चिकित्सा पद्धतियों के उपाध्यक्ष क्रमशः ऊपर संदर्भित समितियों के सभापति हैं।

प्रत्येक समिति सामान्य अथवा विशिष्ट निर्देशों, जो समय-समय पर केन्द्रीय परिषद् देती है, के अधीन आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी तिब्ब चिकित्सा पद्धति जैसा भी प्रकरण हो, से सम्बन्धित किसी भी विषय को केन्द्रीय परिषद् की सक्षमता में करने के लिए समर्थ है।

कार्यकारिणी समिति

अधिनियम, एवं उसके अधीन निर्मित नियमों एवं विनियमों के ढांचे में केन्द्रीय परिषद् द्वारा निर्धारित सामान्य नीति एवं सिद्धान्तों के अनुरूप परिषद् के कार्यों का निष्पादन करने के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (सामान्य) विनियम, 1976 की संख्या-5, के अनुरूप कार्यकारिणी समिति का गठन किया जाता है। समिति में भारतीय चिकित्सा अर्थात् आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी तिब्ब तीनों पद्धतियों के सदस्यों का पूर्ण प्रतिनिधित्व है।

केन्द्रीय परिषद् ने विभिन्न कार्यों को करने के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, अधिनियम, 1970 की धारा 10 के अधीन निम्न समितियों का भी गठन किया :

विनियम समिति

समय-समय पर यथा आवश्यक केन्द्रीय परिषद् के विभिन्न विनियमों को बनाने तथा उससे सम्बन्धित मामलों पर विचार करने के लिए परिषद् द्वारा भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 के अधीन विनियम समिति का गठन किया गया।

विनियम समिति के निम्न सदस्य हैं :-

- | | |
|----------|------------------------------|
| सभापति | - 1. वैद्य आई० संजीवा राव |
| उपसभापति | - 2. वैद्य वेदप्रकाश त्यागी |
| सदस्य | - 3. डॉ० रमेश चन्द्र भूपतानी |
| सदस्य | - 4. डॉ० पी० नारायणन |
| सदस्य | - 5. डॉ० राजेश शुक्ला |
| सदस्य | - 6. डॉ० अलखनारायण सिंह |
| सदस्य | - 7. डॉ० ज्ञान कुमार आहूजा |
| सदस्य | - 8. डॉ० ए० एस० उपाध्याय |
| सदस्य | - 9. डॉ० एस० के भूनिया |
| सदस्य | - 10. डॉ० आर० के० यादव |
| सदस्य | - 11. डॉ० के० सी० पाधी |
| सदस्य | - 12. वैद्य अब्दुल वहीद |
| सदस्य | - 13. वैद्य बी० वैद्यनाथन |
| सदस्य | - 14. डॉ० महेश्वर पाण्डे |

सदस्य	-	15. डॉ० एस० गोपालकृष्णन
सदस्य	-	16. हकीम सैयद इमामुद्दीन अहमद
सदस्य	-	17. हकीम एस० शफीउल्लाह खान
सदस्य	-	18. डॉ० बन्सीलालल पंडित
सदस्य	-	19. डॉ० गजेन्द्र भराली
सदस्य	-	20. डॉ० एस० एस० रावत
सदस्य	-	21. डॉ० मुकेश शर्मा

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष (आयुर्वेद), उपाध्यक्ष (सिद्ध) एवं उपाध्यक्ष (यूनानी) विनियम समिति के पदेन सदस्य हैं ।

पंजीयन समिति

केन्द्रीय परिषद् ने पंजीयन एवं सम्बंधित विषयों को देखने हेतु पंजीयन समिति का गठन किया । केन्द्रीय पंजिका का निर्माण एवं भारतीय चिकित्सा पद्धति के चिकित्साभ्यास को नियमित करना भी इस समिति के अधिकार क्षेत्र में है ।

पंजीयन समिति के निम्न सदस्य हैं :-

सभापति	1.	डॉ० जयप्रकाश नारायण
उपसभापति	2.	डॉ० ए० के० पटेल
सदस्य	3.	डॉ० देवनारायण शर्मा
सदस्य	4.	डॉ० पी० के० वशिष्ठ
सदस्य	5.	डॉ० सतीशदत्त गर्ग
सदस्य	6.	डॉ० डी० रामनाथन
सदस्य	7.	डॉ० आर० भरतराजन
सदस्य	8.	डॉ० डी० अश्वस्यराज
सदस्य	9.	वैद्य रोहिदास शम्भू पाटिल
सदस्य	10.	डॉ० ज्ञान कुमार आहूजा
सदस्य	11.	डॉ० एन० वी० साल्गरकर
सदस्य	12.	डॉ० एम० वमन रेड्डी
सदस्य	13.	डॉ० पातंजलि द्विवेदी
सदस्य	14.	डॉ० वाचस्पति त्रिवेदी
सदस्य	15.	डॉ० महेन्द्र कुमार शर्मा
सदस्य	16.	वैद्य एम० एन० ताम्बे
सदस्य	17.	डॉ० विनोद पुण्डीर
सदस्य	18.	वैद्य संजय जर्नादन तिलक
सदस्य	19.	वैद्य जी०पी० उपाध्याय
सदस्य	20.	डॉ० आर० डी० शर्मा
सदस्य	21.	हकीम अख्तर मसूद सिद्दीकी
सदस्य	22.	हकीम सऊद अली खान
सदस्य	23.	डॉ० वी० स्टेनले जोन्स

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष (आयुर्वेद), उपाध्यक्ष (सिद्ध), उपाध्यक्ष (यूनानी) पंजीयन समिति के पदेन सदस्य हैं ।

वित्त समिति

परिषद् के वित्त सम्बन्धी मामलों को देखने के लिए परिषद् ने वित्त समिति का गठन किया ।

वित्त समिति के निम्न सदस्य हैं :-

सभापति	1.	वैद्य गौरीलाल चानना
उपसभापति	2.	हकीम अबू बकर खान
सदस्य	3.	डॉ० एम० ए० कुमार
सदस्य	4.	डॉ० मुकेश वालिया
सदस्य	5.	डॉ० के०आर० रामचन्द्रन
सदस्य	6.	डॉ० डी० रामनाथन
सदस्य	7.	डॉ० एस०एस० रावत
सदस्य	8.	डॉ० डी० एन० सिंह
सदस्य	9.	डॉ० ज्ञान चन्द
सदस्य	10.	डॉ० पी० के० वारियर
सदस्य	11.	वैद्य बालेन्दु प्रकाश
सदस्य	12.	डॉ० के० वी० शाह
सदस्य	13.	वैद्य के० के० पाण्डे

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष (आयुर्वेद), उपाध्यक्ष (यूनानी), उपाध्यक्ष (सिद्ध) वित्त समिति के पदेन सदस्य हैं ।

शिक्षा समिति (आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी)

शिक्षा समितियां (आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी) की शिक्षा से सम्बन्धी समस्त कार्यों को करने के लिए गठित की गई है । साथ ही विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदत्त उपाधि की मान्यता हेतु प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करती है ।

आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी शिक्षा समितियों के निम्न सदस्य हैं :-

आयुर्वेद

सभापति	1.	वैद्य शिवकुमार मिश्र
पदेनसदस्य	2.	वैद्य शिवकरण शर्मा छांगाणी, उपाध्यक्ष (आयुर्वेद)
सदस्य	3.	डॉ० सी०एच०एस० शास्त्री
सदस्य	4.	वैद्य एस०के० शर्मा
सदस्य	5.	वैद्य शाहकिशन विठ्ठलदास
सदस्य	6.	डॉ० जगजीत सिंह
सदस्य	7.	डॉ० घनश्याम मिश्र
सदस्य	8.	वैद्य हरिनारायण स्वामी
सदस्य	9.	डॉ० एल० एन० मैती
सदस्य	10.	वैद्य मुकेश शर्मा
सदस्य	11.	प्रो० कुलवन्त सिंह
सदस्य	12.	डॉ० रुद्रमणि शर्मा

सदस्य	13. वैद्य दीनानाथ उपाध्याय
सदस्य	14. डॉ०एस०वी० सावदी
सदस्य	15. डॉ०ओ०पी० वशिष्ठ
सदस्य	16. वैद्य एस० पी० भट्टाचार्य
सदस्य	17. डॉ०आर०सी० भट्टाचार्य
सदस्य	18. डॉ० के० राजगोपालन
सदस्य	19. वैद्य गौरीलाल चानना
सदस्य	20. डॉ०डी० रामनाथन
सदस्य	21. प्रो० ज्योतिर्मित्र आचार्य
सदस्य	22. वैद्य ए०एस० उपाध्याय
सदस्य	23. डॉ० आर० एस० परिहार
सदस्य	24. डॉ०आर०वी० सहगौरा
सदस्य	25. डॉ० भृगुपति पाण्डे
सदस्य	26. डॉ० वी० पी० त्यागी
सदस्य	27. डॉ० किशोर मोहन
सदस्य	28. प्रो० वेदव्रत शर्मा
सदस्य	29. डॉ० इन्द्रमोहन झा
सदस्य	30. डॉ० पातंजलि द्विवेदी
सदस्य	31. डॉ० वाचस्पति त्रिवेदी
सदस्य	32. वैद्य एस० एन० परचुरे

सिद्ध

सभापति	1. डॉ० वी० अरुणाचलम
सदस्य	2. डॉ० एस० गोपालाकृष्णन
सदस्य	3. डॉ० एम० ए० कुमार
सदस्य	4. डॉ० वी० स्टेनले जोन्स

यूनानी

सभापति	1. प्रो० हकीम जमील अहमद
पदेन सदस्य	2. प्रो० अब्दुल मोबिन खान (उपाध्यक्ष यूनानी)
उपसभापति	3. प्रो० हकीम शहाबुल हक
सदस्य	4. प्रो० हकीम एस० शाजी हैदर
सदस्य	5. प्रो० हकीम एस० इमामुद्दीन अहमद
सदस्य	6. प्रो० हकीम ए० जे० खान
सदस्य	7. हकीम सऊद अली खान
सदस्य	8. हकीम वेदप्रकाश शर्मा
सदस्य	9. प्रो० हकीम शेख मोहम्मद अरशद
सदस्य	10. प्रो० हकीम अबू बकर खान

सदस्य	11. हकीम (श्रीमती) अलिया अमान
सदस्य	12. डॉ०एस० एस० रावत
सदस्य	13. हकीम बन्सीलाल पंडित
सदस्य	14. डॉ० मदन सरूप गुप्ता
सदस्य	15. हकीम के० शफीउल्ला खान
सदस्य	16. हकीम शमीम अहमद
सदस्य	17. हकीम हाफीज एस० हबीबुर्हमान

वर्ष 1997-98 के दौरान निम्न बैठकें हुई :

1. भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्	एक
2. आयुर्वेद समिति	एक
3. सिद्ध समिति	एक
4. यूनानी समिति	चार
5. कार्यकारिणी समिति	एक
6. पंजीयन समिति	दो
7. विनियम समिति	एक
8. वित्त समिति	दो
9. शिक्षा समिति (आयुर्वेद)	एक
10. शिक्षा समिति (सिद्ध)	एक
11. शिक्षा समिति (यूनानी)	दो
12. शिक्षा समिति (आयुर्वेद) की उपसमिति	एक
13. विशिष्ट केन्द्र के लिए विनियम का प्रारूप तैयार करने हेतु उपसमिति की 19-6-97 को सम्पन्न बैठक	एक
14. आयुर्वेद वारिधि (पी-एच डी०) के विनियम से सम्बन्धित 14-7-97 को सम्पन्न उपसमिति की बैठक	एक
15. 21-7-97 को सम्पन्न जांच समिति की बैठक	एक
16. 31-7-97 को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक	एक
17. आयुर्वेदाचार्य पाठ्यक्रम के पाठ्यविवरण में वेदों का संगत अंश सम्मिलित करने हेतु 9-9-97 को सम्पन्न बैठक	एक
18. 11-9-97 को परिदर्शन प्रपत्र संशोधित करने हेतु समिति की बैठक	एक
19. भारतीय चिकित्सा में परिचर्या और भेषज पाठ्यक्रम और पाठ्यविवरण तैयार करने हेतु गठित उप-समिति की 6-11-97 को सम्पन्न बैठक	एक
20. विनियम समिति द्वारा भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 में संशोधन पर विचार करने हेतु गठित उपसमिति की 20-12-97 को सम्पन्न बैठक	एक

- | | |
|--|----|
| 21. अगदूतंत्र व व्यवहारायुर्वेद तथा स्वस्थवृत्त पर 12-9-97 को सम्पन्न कार्यशाला | एक |
| 22. 26 एवं 27-8-97 को हैदराबाद में यूनानी की कार्यशाला | एक |
| 23. 27 से 29 नवम्बर, 1997 तक रसशास्त्र एवं द्रव्यगुण पर कार्यशाला | एक |
| 24. 20 से 22-12-97 रोगनिदान एवं काय चिकित्सा पर कार्यशाला | एक |
| 25. 26 एवं 27-12-97 को नई दिल्ली में तशरीह-उल-बदन तथा मुनाफे-उल-अज्ञा पर कार्यशाला | एक |
| 26. 25 एवं 26-2-98 को आयुर्वेदाचार्य पाठ्यक्रम के शल्य-शालाक्य, प्रसूतित्रं एवं कौमारभृत्य के पाठ्य विवरण की पुनरीक्षा हेतु कार्यशाला | एक |
| 27. यूनानी तिब्ब में कामिले-तिब्बो-जराहत पाठ्यक्रम के हिफजाने सेहत-वा-तहाफुसी समाजी तिब्ब विषय पर 27 एवं 28 फरवरी, 1998 को सम्पन्न कार्यशाला | एक |
| 28. कामिले-तिब्बो-जराहत पाठ्यक्रम के इल्मुल अदविया एवं इल्मुलकबाला, निसवान अतफाल पर 30 एवं 31 मार्च, 1998 को कार्यशाला | एक |
| 29. 21 एवं 22 मार्च, 1998 को नई दिल्ली में (व्यवसायिक आचरण, शिष्टाचार एवं आचार संहिता) पर विचारगोष्ठी | एक |
| 30. भारतीय चिकित्सा पद्धति के शिक्षा सम्बन्धी पहलुओं पर वीडियो फिल्म तैयार करने हेतु 28-1-98 को उपसमिति की बैठक | एक |
| 31. वीडियो फिल्म के सम्बन्ध में 22-2-98 को वाराणसी में उप-समिति की बैठक | एक |

केन्द्रीय परिषद् ने अंकित किया कि भारतीय चिकित्सा पद्धति (आयुर्वेद/सिद्ध/यूनानी) के महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है, परिणामतः भारतीय चिकित्सा के आयुर्वेद एवं अन्य महाविद्यालय अन्य पद्धति के महाविद्यालयों की भांति उपस्कर और विचार गोष्ठियों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से वित्तीय सहायता नहीं प्राप्त कर सकते। अतः यह निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से यह अनुरोध किया जाय कि अपनी सूची में भारतीय चिकित्सा पद्धति के महाविद्यालयों को भी सम्मिलित करें ताकि अनुदान प्राप्त करने हेतु उन्हें भी मार्ग मिल सके।

केन्द्रीय परिषद् ने निम्न सार्वजनिक सूचना जारी करने का निर्णय लिया :-

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् यह अधिसूचित करती है कि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की अनुसूचियों में सम्मिलित अर्हताओं के धारक भारतीय चिकित्सा के चिकित्साभ्यासी जो विभिन्न राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों के सांविधिक मंडलों/परिषदों में पंजीकृत हैं, को सम्बन्धित अधिनियम और राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं में निहित चिकित्साभ्यास करने के सभी अधिकार हैं।

किसी अन्य परिषद् द्वारा जारी अधिसूचना भारतीय चिकित्सा पद्धति के चिकित्साभ्यासियों के अधिकारों पर किसी भी तरह से प्रभावी नहीं है। कई राज्य अधिनियम और सरकारी आदेश इन चिकित्साभ्यासियों को भारतीय चिकित्सा के अतिरिक्त आधुनिक चिकित्सा में भी चिकित्साभ्यास करने का अधिकार देते हैं। यह विशेषाधिकार भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 17 की उपधारा 3 के अनुबन्ध (ख) में सुरक्षित हैं।

केन्द्रीय परिषद् ने निर्णय लिया कि सभी राज्य सरकारों से अनुरोध किया जाय कि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् के चुने हुए सदस्यों को आयुर्वेद/यूनानी राज्य मंडल का पदेन सदस्य माना जाय ताकि नीति सम्बन्धी मामलों और पंजीयन कार्य में राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर एकरूपता लाई जा सके।

आयुर्वेद

मुख्य अनुशांसाएं निम्नलिखित हैं :-

आयुर्वेद समिति ने अंकित किया कि शिक्षा समिति (आयुर्वेद) ने स्नातकीय पाठ्यक्रम की विद्यमानता के बिना आयुर्वेद स्नातकोत्तर संस्था/विभाग की स्थापना के प्रकरण पर विचार करते समय यह निर्णय लिया कि स्नातकीय पाठ्यक्रम की विद्यमानता के बिना स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम संचालित किया जा सकता है परन्तु वहां पर स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए आवश्यक साज-सज्जा होनी चाहिए। इन संस्थाओं के लिए आवश्यक साज-सज्जा की संख्या पर विचार करने के लिए निम्न सदस्यों की एक उप-समिति बनाई गई जो स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए साज-सज्जा और स्नातकोत्तर संस्थान के लिए कार्मिक पद्धति का निर्णय लेगी :-

1. डॉ० सी० एच० एस० शास्त्री
2. प्रो० कुलवन्त सिंह
3. डॉ० घनश्याम मिश्र
4. वैद्य वेदप्रकाश त्यागी
5. डॉ० ज्योतिमित्र आचार्य

उपर्युक्त उप-समिति की अनुशांसाओं पर विचार किया गया और आयुर्वेद समिति तथा भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा इन्हें अनुमोदित किया गया।

आयुर्वेद समिति ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया कि सभी राज्यों के भारतीय चिकित्सा पद्धति के छात्रों को मृत्युोत्तर परीक्षा सुविधा होनी चाहिए। यह भी निर्णय लिया गया कि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अपनी शक्तियों के अन्तर्गत इस प्रस्ताव को अधिसूचित करे।

यह अंकित किया गया कि स्नातकोत्तर प्रशिक्षण संचालित करने वाले कई संस्थान स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति प्रदान नहीं कर रहे हैं। परिणामतः आयुर्वेद की उच्चतर शिक्षा रोगग्रस्त हैं और इन छात्रों द्वारा ग्राह्य शोध कार्य उचित तौर पर पूरा नहीं हो रहा है।

केन्द्रीय परिषद् ने राज्य सरकार/केन्द्र सरकार को यह अनुरोध करने का निर्णय लिया कि आधुनिक चिकित्सा के लिए प्रचलित दर पर भारतीय चिकित्सा पद्धति के स्नातकों को छात्रवृत्ति दी जाय।

आयुर्वेद समिति ने आयुर्वेद की कार्यशाला द्वारा पुनरीक्षित भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (स्नातकोत्तर शिक्षा) विनियम (संशोधन) 1994 के प्रारूप को अनुमोदित किया।

केन्द्रीय परिषद् ने पी०-एच०डी० से सम्बन्धित प्रारूप विनियम को अनुमोदित किया।

केन्द्रीय परिषद् द्वारा आयुर्वेद समिति की अनुशंसा इन विभागों में से एक में एम०डी० (आयुर्वेद संज्ञाहरण) अर्हता के साथ एनेस्थैटिक लेक्चरर (संज्ञाहरण) का पद सृजित करने हेतु अनुमोदित किया।

केन्द्रीय परिषद् ने आयुर्वेद समिति के इस निर्णय को स्वीकार किया कि भारत सरकार को भारतीय चिकित्सा पद्धति के लिए भेषज परिषद् और परिचर्या परिषद् की स्थापना करनी चाहिए। इन परिषदों की स्थापना तक यह कार्य भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् को दिया जा सकता है।

आयुर्वेद समिति ने अंकित किया कि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप प्रयोगशाला, अस्पताल इत्यादि की आवश्यक सुविधाओं के बिना कई संस्थान एम० डी० (आयुर्वेद) के लिए छात्रों को प्रवेश दे रहे हैं। एम० डी० (आयुर्वेद) के मार्ग निर्देश के लिए मानदण्डों का भी उपयुक्त रूप से अनुसरण नहीं कर रहे हैं।

यह निर्णय लिया गया कि प्राध्यापक के लिए दो स्नातकोत्तर छात्रों, प्रवाचक के लिए दो और प्रवक्ता (व्याख्याता) के लिए एक का अनुसरण दृढ़ता से होना चाहिए और भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् संस्थान में न्यूनतम मानकों की उपलब्धता सुनिश्चित करें।

समिति ने अंकित किया कि निम्नलिखित विवरण अनुसार विभिन्न कार्यशालाओं में आयुर्वेदाचार्य पाठ्यक्रम के पाठ्यविवरण की पुनरीक्षा की गई :-

1. 12-8-97 को पुणे में अगदतंत्र एवं व्यवहारायुर्वेद तथा स्वस्थवृत्त पर कार्यशाला।
2. 27 से 29 नवम्बर, 1997 को सीकर में रसशास्त्र और द्रव्यगुण पर कार्यशाला।
3. 20 से 22 दिसम्बर, 1997 को लखनऊ में रोग विज्ञान एवं विकृति विज्ञान तथा कायचिकित्सा पर कार्यशाला।
4. 25 एवं 26 फरवरी, 1998 को वाराणसी में आयुर्वेदाचार्य पाठ्यक्रम में शल्यशालाक्य प्रसूतित्र तथा कौमारभृत्य के पाठ्यविवरण की पुनरीक्षा हेतु कार्यशाला।

केन्द्रीय परिषद् द्वारा विहित न्यूनतम स्तरों और आवश्यकताओं के अनुरूप आयुर्वेदाचार्य पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु निम्नलिखित संस्थानों में उपलब्ध न्यूनतम स्तरों का आकलन करने के पश्चात् आयुर्वेदाचार्य पाठ्यक्रम संचालित करने की अनुमति दी गई।

नए महाविद्यालयों को अनुमति

1. श्री शिवयोगेश्वर रुशल आयुर्वेद मेडीकल कॉलेज, इन्चल मोन्धी, तालुका-बेलगांव (कर्नाटक)
 2. तालुका शिक्षण प्रसारक साहकारा मंडल आयुर्वेद काले 1, सिद्धकी, जिला-बीजापुर (कर्नाटक)
 3. श्री बसवेश्वर विद्यावर्धक सांधा, बगलकोट, जिला बीजापुर (कर्नाटक)
 4. श्री भारतेश एजुकेशन सोसायटी ग्रामीण आयुर्वेद कॉलेज, तरदल, जिला बीजापुर (कर्नाटक)
 5. श्री एस० बी० एस० आयुर्वेद मेडीकल कालेज, मुदरगी, जिला गडग (कर्नाटक)
 6. वीरपुलकेशी विद्यावर्धक रुशल आयुर्वेद मेडीकल कालेज, बादामी, बीजापुर (कर्नाटक)
 7. रुशल आयुर्वेद मेडीकल कालेज, बेलगाँव (कर्नाटक)
 8. भगवान महावीर जैन आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एवं हास्पीटल, गजेन्द्रगढ़ (कर्नाटक)
 9. हिमालय आयुर्वेद मेडीकल कॉलेज, बरेली (उ०प्र०)
- वर्ष 1997-98 के दौरान निम्न आयुर्वेद महाविद्यालयों का परिदर्शन किया गया :-

क्रम सं.	महाविद्यालय का नाम	परिदर्शन की तिथि	स्नातकीय/ स्नातकोत्तर	अनुमति दी गई/ अनुमति नहीं दी गई
1.	इन्स्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च, गुजरात, जामनगर।	21/22-4-97	स्नातकोत्तर स्नातकीय/	अनुमति दी गई
2.	शासकीय आयुर्वेद कालेज, पटना	29-5-97	स्नातकोत्तर	अनुमति दी गई
3.	अमुथा आयुर्वेदिक मेडीकल कॉलेज, डॉडापेट, चित्रदुर्गा	22-5-97	स्नातकीय	अनुमति नहीं दी गई
4.	बापूजी आयुर्वेदिक मेडीकल कॉलेज, चित्रदुर्गा	23-5-97	स्नातकीय	अनुमति नहीं दी गई
5.	गोमांतक आयुर्वेद महाविद्यालय एण्ड रिसर्च सेंटर, शिरोदा, गोवा	3-3-97	स्नातकीय	अनुमति दी गई
6.	गवर्नमेंट आयुर्वेद मेडिकल कालेज, मैसूर	28-10-97	स्नातकीय स्नातकोत्तर	अनुमति दी गई
7.	गवर्नमेंट आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, बंगलौर	29-10-97	स्नातकीय/ स्नातकोत्तर	अनुमति दी गई
8.	गंगा एजुकेशन सोसायटी आयुर्वेद मेडीकल कालेज, कोल्हापुर।	19-6-97	स्नातकीय	अनुमति दी गई
9.	हनुमान शिक्षण प्रसारक मंडल आयुर्वेद महाविद्यालय, पेट बडगांव, कोल्हापुर	20-6-97	स्नातकीय	अनुमति दी गई
10.	यशवंत शिक्षण प्रसारक मंडल आयुर्वेद महाविद्यालय, कोडोली, कोल्हापुर	21-6-97	स्नातकीय	अनुमति दी गई
11.	श्री सैन चैरिटेबल ट्रस्ट फार हायर एजुकेशन रिसर्च, जम्मू	9-6-97	स्नातकीय	अनुमति नहीं दी गई
12.	गुरुनानक मेडीकल इन्स्टीट्यूट एण्ड चैरिटेबल अस्पताल, गांधीनगर, जम्मू	10-6-97	स्नातकीय	अनुमति नहीं दी गई
13.	बापूजी आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, राजेन्द्र नगर, शिमोगा	7-6-97	स्नातकीय	अनुमति दी गई

क्रम सं.	महाविद्यालय का नाम	परिदर्शन की तिथि	स्नातकीय/ स्नातकोत्तर	अनुमति दी गई/ अनुमति नहीं दी गई
14.	टी.ए.एम.ई. सोसायटी आयुर्वेद कालेज, कोडाकट्टी भद्रावती, शिमोगा	6-6-97	स्नातकीय	अनुमति दी गई
15.	राजीव गांधी गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज, पपरोला, जिला कांगडा	16-6-97	स्नातकीय स्नातकोत्तर	अनुमति दी गई
16.	श्री धनवन्तरि आयुर्वेद कालेज एण्ड पं० केदारनाथ मेमोरियल आयुर्वेद हास्पिटल, चण्डीगढ़	18-6-97	स्नातकीय	अनुमति दी गई
17.	कृष्णाराजेन्द्रा इंडियन इन्स्टीट्यूट एण्ड रीसर्च आयुर्वेद कॉलेज, बंगलौर	23-6-97	स्नातकीय	अनुमति दी गई
18.	एस० डी० एम० आयुर्वेद कॉलेज, हसन	24-6-97	स्नातकीय	अनुमति दी गई
19.	देशभगत आयुर्वेद मेडीकल कॉलेज, मण्डी गोबिन्दगढ़, पंजाब	1-7-97	स्नातकीय	अनुमति दी गई
20.	माई भागो आयुर्वेद मेडीकल कॉलेज, मुक्तसर	2-7-97	स्नातकीय	अनुमति दी गई
21.	रूरल एजुकेशनट्रस्ट आयुर्वेद मेडीकल कॉलेज, कोयल	3-6-97	स्नातकीय	अनुमति दी गई
22.	आयुर्वेद महाविद्यालय, पूसद	23-6-97	स्नातकीय	अनुमति दी गई
23.	ग्रामीण आयुर्वेद महाविद्यालय, पातूर	24-6-97	स्नातकीय	अनुमति दी गई
24.	परमहंस रामकृष्ण मोनीबाबा आयुर्वेद महाविद्यालय, चिकली	25-6-97	स्नातकीय	अनुमति नहीं दी गई
25.	अलवास आयुर्वेद मेडीकल कॉलेज, मूडबीद्रि	26-6-97	स्नातकीय	अनुमति दी गई
26.	के० वी० जी० आयुर्वेद कालेज, सुलिया	27-6-97	स्नातकीय	अनुमति दी गई
27.	एस०एस०एम०डी० आयुर्वेद कालेज, मोगा	5-7-97	स्नातकीय	अनुमति दी गई
28.	नालासोपारा आयुर्वेद कॉलेज, नालासोपारा	1-7-97	स्नातकीय	अनुमति दी गई
29.	सिंदगी शान्ता बसवेश्वर आयुर्वेद मेडीकल कालेज, हावेरी	6-6-97	स्नातकीय	अनुमति दी गई
30.	टेम सोसायटी आयुर्वेद मेडीकल कॉलेज, होसपेट	7-6-97	स्नातकीय	अनुमति दी गई
31.	डा० बी० एन०एम० आयुर्वेद मेडीकल कॉलेज, बीजापुर	13-6-97	स्नातकीय	अनुमति दी गई
32.	एस०वाई०एम०वी०वी० सोसायटी श्री विजय महन्तेश आयुर्वेद मेडीकल कॉलेज, इलकल	14-6-97	स्नातकीय	अनुमति दी गई
33.	दादा साहेब सरूपसिंह नायक आयुर्वेद महाविद्यालय, धुले	11-6-97	स्नातकीय	अनुमति दी गई
34.	धुले चेरिटेबल सोसायटी आयुर्वेदिक महाविद्यालय, धुले	10-6-97	स्नातकीय	अनुमति दी गई
35.	गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज, बोलनगर	13-6-97 4-7-97	स्नातकीय	अनुमति नहीं दी गई
36.	जे०एस० आयुर्वेद महाविद्यालय, नडियाड	4-7-97	स्नातकीय	अनुमति दी गई
37.	एस०डी०एम० कॉलेज ऑफ आयुर्वेद उडूपी	20-6-97	स्नातकीय	अनुमति दी गई
38.	सरना बशेश्वर आयुर्वेद मेडीकल कॉलेज गुलबर्गा	16-6-97	स्नातकीय	अनुमति नहीं दी गई
39.	हिंगुलम्बिका एजुकेशन सोसायटी आयुर्वेद मेडीकल कॉलेज, गुलबर्गा	17-6-97	स्नातकीय	अनुमति दी गई

क्रम सं.	महाविद्यालय का नाम	परिदर्शन की तिथि	स्नातकीय/ स्नातकोत्तर	अनुमति दी गई/ अनुमति नहीं दी गई
40.	कालेज ऑफ आयुर्वेद एण्ड रीसर्च सैन्टर, अकुर्डी, पुणे	24-6-97	स्नातकीय	अनुमति दी गई
41.	आयुर्वेद महाविद्यालय, सायन, मुम्बई	30-6-97	स्नातकीय	अनुमति दी गई
42.	आयुर्वेद महाविद्यालय, हेगरी एक्सटेंशन, हुगली	2-6-97	स्नातकीय/ स्नातकोत्तर	अनुमति दी गई
43.	गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज, पटियाला,	4-7-97	स्नातकीय/ स्नातकोत्तर	अनुमति दी गई
44.	गौड़ ब्राह्मण आयुर्वेद कॉलेज, रोहतक	9-6-97	स्नातकीय	अनुमति दी गई
45.	ए०एल०एन० राव आयुर्वेद महाविद्यालय, कोप्पा	19-9-97	स्नातकीय	अनुमति दी गई
46.	सी०एस०एम०एस०एस० आयुर्वेद महाविद्यालय, औरंगाबाद	24-6-97	स्नातकीय	अनुमति दी गई
47.	संगम सेवाभावी ट्रस्ट आयुर्वेद महाविद्यालय, संगमनेर	2-7-97	स्नातकीय	अनुमति दी गई
48.	सिद्धकला आयुर्वेद महाविद्यालय, संगमनेर	2-7-97	स्नातकीय	अनुमति दी गई
49.	आयुर्वेद कॉलेज, हड़पसर, पुणे	23-6-97	स्नातकोत्तर	अनुमति दी गई
50.	गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज, नांदेड	20-6-97 10-12-97	स्नातकोत्तर	अनुमति दी गई
51.	के०वी० राव आयुर्वेद महाविद्यालय, बोराडी	27-6-97	स्नातकीय	अनुमति दी गई
52.	गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज, जगतगंज, वाराणसी	1-7-97	स्नातकीय	अनुमति दी गई
53.	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी	2-7-97	स्नातकोत्तर	अनुमति दी गई
54.	सेठ चन्दनमल मुथा आयुर्वेद महाविद्यालय, सतारा	28-6-97	स्नातकीय/ स्नातकोत्तर	अनुमति दी गई
55.	भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ आयुर्वेद, इरण्डवाने, पुणे	27-6-97	स्नातकीय	अनुमति दी गई
56.	आयुर्वेद महाविद्यालय, राहुरी, अहमदनगर	23-6-97	स्नातकीय	अनुमति दी गई
57.	गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज, बड़ोदा	5-7-97	स्नातकीय	अनुमति दी गई
58.	आर्यकन्या शुद्ध आयुर्वेद महाविद्यालय, बड़ौदा	5-7-97	स्नातकीय	अनुमति दी गई
59.	श्री भंवरलाल दूगड़ आयुर्वेद महाविद्यालय, सरदारशहर	4-7-97	स्नातकीय	अनुमति दी गई
60.	परसुराम पुरिया आयुर्वेद कॉलेज, सीकर	3-7-97	स्नातकीय	अनुमति दी गई
61.	रिखवचन्द सुखन आयुर्वेद मेडीकल कॉलेज, रायचूर	25-8-97	स्नातकीय	अनुमति नहीं दी गई
62.	कलमाथादा पूज्या श्री चौरुपक्ष आयुर्वेद कॉलेज, मनवीड, रायचूर	26-8-97	स्नातकीय	अनुमति नहीं दी गई
63.	के०जी०एन० आयुर्वेद एण्ड यूनानी मेडीकल कॉलेज, देहरादून	16-8-97	स्नातकीय	अनुमति नहीं दी गई
64.	हिमालय आयुर्वेद मेडीकल कॉलेज, बरली	18-8-97	स्नातकीय	अनुमति दी गई
65.	श्री गुरु बाल्मोकि महर्षि आयुर्वेद मेडीकल कॉलेज, जगलूर	2-8-97	स्नातकीय	अनुमति नहीं दी गई

क्रम सं.	महाविद्यालय का नाम	परिदर्शन की तिथि	स्नातकीय/ स्नातकोत्तर	अनुमति दी गई/ अनुमति नहीं दी गई
66.	श्री भारतेश एजुकेशन ग्रामीण आयुर्वेद मेडीकल कॉलेज, तरदल	21-8-97	स्नातकीय	अनुमति दी गई
67.	गुरुनानक आयुर्वेद मेडीकल कॉलेज एण्ड हास्पिटल, मुक्तसर	2-9-97	स्नातकीय	अनुमति दी गई
68.	आयुर्वेद एण्ड यूनानी तिब्बिया कॉलेज, करौलबाग, नई दिल्ली	19-8-97	स्नातकीय/ स्नातकोत्तर	अनुमति दी गई पी०जी० की अनुमति नहीं दी गई
69.	वैद्यरत्नम आयुर्वेद कॉलेज, ओलूर	17-6-97	स्नातकीय	अनुमति दी गई
70.	गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज, त्रिपुनीथुरा	16-6-97	स्नातकीय	अनुमति दी गई
71.	श्री जे०जी० आयुर्वेद महाविद्यालय घटप्रभा	16-6-97	स्नातकीय	अनुमति दी गई
72.	एन०के० आयुर्वेद मेडीकल कॉलेज एण्ड हास्पिटल, बीदर	15-7-97	स्नातकीय	अनुमति दी गई
73.	मयूरभंज आयुर्वेद महाविद्यालय, बारीपाडा	9-7-97	स्नातकीय	अनुमति नहीं दी गई
74.	श्री नरुसिंह नाथ आयुर्वेद कॉलेज एण्ड रिसर्च इन्स्टीट्यूट, सम्बलपुर	8-7-97	स्नातकीय	अनुमति दी गई
75.	कविराज अनन्त त्रिपाठी शर्मा आयुर्वेद कॉलेज, गंजम	7-7-97	स्नातकीय	अनुमति नहीं दी गई
76.	श्री बालहनुमान आयुर्वेद महाविद्यालय, मेहसाना	12-6-97	स्नातकीय	अनुमति नहीं दी गई
77.	आयुर्वेद कॉलेज, कोयम्बतूर	30-7-97	स्नातकीय	अनुमति दी गई
78.	गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज, त्रिरुवन्थापुरम	28-7-97	स्नातकोत्तर/ स्नातकीय	अनुमति दी गई
79.	वी०पी०एस० आयुर्वेद कॉलेज, कोट्टाकल, इराडीकोटे	29-7-97	स्नातकीय	अनुमति दी गई
80.	ए०एल० गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज, वारंगल	26-7-97	स्नातकीय	अनुमति दी गई
81.	एन०आर०शास्त्री गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज, विजयवाडा	28-7-97	स्नातकीय	अनुमति दी गई
82.	गवर्नमेंट धन्वन्तरि आयुर्वेद कॉलेज, बक्सर	13-9-97	स्नातकीय	अनुमति नहीं दी गई
83.	लाला लाजपतराय मेमोरियल आयुर्वेद मेडीकल कालेज, मोगा	27-9-97	स्नातकीय	अनुमति दी गई
84.	एस०जी०वी० आयुर्वेद मेडीकल कालेज, बेलहोंगल	24-9-97	स्नातकीय	अनुमति दी गई
85.	स्वामी राघवेन्द्राचार्य त्रिदण्डी आयुर्वेद महाविद्यालय, गया	10-9-97	स्नातकीय	अनुमति दी गई
86.	आयुर्वेद मेडीकल कालेज, गया	11-9-97	स्नातकीय	अनुमति दी गई
87.	महागणपति आयुर्वेद मेडीकल कॉलेज, धारवाड़	24-9-97	स्नातकीय	अनुमति दी गई
88.	रविन्द्रनाथ मुखर्जी आयुर्वेद कालेज, मोतीहारी	24-9-97	स्नातकीय	अनुमति दी गई
89.	दयानन्द आयुर्वेद कालेज, साँवान	2-5-97	स्नातकीय	अनुमति दी गई
90.	गवर्नमेंट अष्टांग आयुर्वेद कॉलेज, इन्दौर	19-9-97	स्नातकीय	अनुमति दी गई
91.	गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज, उज्जैन	20-9-97	स्नातकीय	अनुमति दी गई

क्रम सं.	महाविद्यालय का नाम	परिदर्शन की तिथि	स्नातकीय/ स्नातकोत्तर	अनुमति दी गई/ अनुमति नहीं दी गई
92.	इन्दिरा गांधी मेमोरियल आयुर्वेद कॉलेज, भुवनेश्वर	17-9-97	स्नातकीय	अनुमति नहीं दी गई
93.	वी०एस०एस० आयुर्वेद मेडीकल कॉलेज, मैसूर	21-10-97	स्नातकीय	अनुमति नहीं दी गई
94.	श्री एस०बी०एस० आयुर्वेद मेडीकल कॉलेज मुंदरगी	26-10-97	स्नातकीय	अनुमति दी गई
95.	राजीव गांधी एजुकेशन आयुर्वेद कालेज, रोम	25-10-97	स्नातकीय	अनुमति नहीं दी गई
96.	बी०वी०वी० संघ आयुर्वेद मेडीकल कॉलेज, बगलकोट	28-10-97	स्नातकीय	अनुमति दी गई
97.	तालुका शिक्षण प्रसारक मंडल सिंदगी, बीजापुर	27-10-97	स्नातकीय	अनुमति दी गई
98.	श्री वीरपुलकेशो विद्या वर्धक समस्त रुरल आयुर्वेद मेडीकल कॉलेज, बदामी	27-10-97	स्नातकीय	अनुमति दी गई
99.	श्री कालीदास आयुर्वेद मेडीकल कॉलेज, बदामी	27-10-97	स्नातकीय	अनुमति नहीं दी गई
100.	एस.एस.बी.ई. सोसायटी श्री शिवा योगेश्वर रुरल आयु० मेडीकल कॉलेज, इन्चल	26-10-97	स्नातकीय	अनुमति दी गई
101.	कन्नड बालोग सोसायटी आयुर्वेद मेडीकल कॉलेज, बेलगांव	25-10-97	स्नातकीय	अनुमति दी गई
102.	भगवान महावीर जैन आयुर्वेद मेडीकल कॉलेज, गजेन्द्रगढ़	27-10-97	स्नातकीय	अनुमति दी गई
103.	पं० खुशीलाल शर्मा आयुर्वेद कालेज, भोपाल	24-10-97	स्नातकीय	अनुमति दी गई
104.	श्री लक्ष्मीनारायण आयुर्वेद कॉलेज, अमृतसर	23-10-97	स्नातकीय	अनुमति दी गई
105.	दयानन्द आयुर्वेद कॉलेज, जालन्धर	24-10-97	स्नातकीय	अनुमति दी गई
106.	शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, उस्मानाबाद	11-12-97	स्नातकीय/ स्नातकोत्तर	अनुमति दी गई
107.	हिमालय आयु० मेडीकल कॉलेज, बरेली	18-8-97	स्नातकीय	अनुमति दी गई
108.	शासकीय आयु० महाविद्यालय, हैदराबाद	26-9-97	स्नातकीय/ स्नातकोत्तर	अनुमति दी गई

यूनानी

मुख्य अनुशासार् निम्न हैं :-

चूँकि राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान, बंगलौर को एक विशिष्ट केन्द्र बनाना था अतः यूनानी समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान, बंगलौर को विशेषतः स्नातकोत्तर शिक्षा प्रारम्भ करने की अनुमति दी जाय।

यह भी निर्णय लिया गया कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारतीय चिकित्सा

पद्धति एवं होम्योपैथी विभाग को आवश्यक कार्यवाही तथा विचार करने का अनुरोध करते हुए एक पत्र लिखा जाय।

केन्द्रीय परिषद् ने उपर्युक्त को स्वीकार किया और निर्णय लिया कि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा आयुर्वेद विशिष्ट केन्द्र प्रारूप विनियमों में निर्धारित मानदण्डों का अनुसरण किया जाय।

निर्णय लिया कि यदि पंजाब राज्य सरकार अथवा अन्य कोई निकाय हिन्दी अथवा अन्य प्रादेशिक भाषा में कामिले-तिब्ब-ओ-जराहत (बैचलर ऑफ यूनानी मैडीसिन एण्ड सर्जरी) पाठ्यक्रम में शिक्षा के उद्देश्य से पाठ्य पुस्तकें प्रदान करते हैं अथवा कर रहे हैं तो परिषद् पंजाब में हिन्दी माध्यम से बी०यू०एम०एस० महाविद्यालय प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान कर सकेगी।

केन्द्रीय परिषद् ने नागपुर विश्वविद्यालय, नागपुर की कामिले-तिब्ब-ओ-जराहत (बैचलर ऑफ यूनानी मेडीसिन एण्ड सर्जरी) उपाधि को भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम 1970 की द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित किया जाने का निर्णय लिया।

नए यूनानी महाविद्यालयों को अनुमति

यूनानी में कामिले-तिब्ब-ओ-जराहत पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए केन्द्रीय परिषद् द्वारा विहित न्यूनतम स्तरों और आवश्यकताओं के अनुरूप न्यूनतम स्तरों और आवश्यकताओं का आकलन करने के पश्चात् निम्न संस्थानों/महाविद्यालयों को कामिले-तिब्ब-ओ-जराहत पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने की अनुमति दी गई :-

1. अल-फारुक यूनानी तिब्बी महाविद्यालय, इन्दौर।
2. महर्षि चरक यूनानी मेडीकल कॉलेज, देवबन्द।
3. के०जी०एन० यूनानी मैडीकल कॉलेज, देहरादून।
4. जूबेरिया तिब्बिया कॉलेज, जोधपुर।

केन्द्रीय परिषद् ने अंकित किया कि कलकत्ता विश्वविद्यालय से आयुर्वेद एवं यूनानी महाविद्यालय सम्बद्ध हैं। परन्तु खेद का विषय है कि आज तक आयुर्वेद एवं यूनानी संकाय नहीं है और ये महाविद्यालय चिकित्सा संकाय के अधीन कार्यरत हैं। आयुर्वेद/यूनानी महाविद्यालयों के सुचारु संचालन के लिए कलकत्ता विश्वविद्यालय में आयुर्वेद/यूनानी चिकित्सा संकाय का होना अनिवार्य है। अतः कलकत्ता विश्वविद्यालय के सम्बन्धित प्राधिकारियों से यह अनुरोध करने का निर्णय लिया गया कि कलकत्ता विश्वविद्यालय के सांविधिक अध्यादेश में आवश्यक संशोधन करते हुए आयुर्वेद एवं यूनानी संकाय सृजित की जाय।

वर्ष के दौरान निम्न यूनानी महाविद्यालयों का परिदर्शन किया गया:-

क्रम सं.	महाविद्यालय का नाम	परिदर्शन की तिथि	स्नातकीय/स्नातकोत्तर	अनुमति दी गई/अनुमति नहीं दी गई
1.	देवबन्द यूनानी मेडीकल कॉलेज, नयाबांस, जिला सहारनपुर।	7-4-97	स्नातकीय	अनुमति दी गई
2.	आयुर्वेद एण्ड यूनानी तिब्बिया कॉलेज, करोलबाग, नई दिल्ली।	10-4-97	स्नातकीय	अनुमति दी गई
3.	गवर्नमेंट यूनानी मेडीकल कालेज, बंगलौर।	12-4-97	स्नातकीय	अनुमति दी गई

4.	अलफारुक यूनानी मेडीकल कॉलेज, इन्दौर।	31-5-97	स्नातकीय	अनुमति दी गई
5.	जामिया हमदर्द तिब्बी कॉलेज, नई दिल्ली	29-4-97	स्नातकीय	अनुमति दी गई
6.	यूनानी मेडीकल कालेज, पुणे	28-4-97	स्नातकीय	अनुमति दी गई
7.	स्टेट तकमिल-उल-तिब्बी यूनानी कॉलेज, इलाहाबाद।	29-5-97	स्नातकीय	अनुमति दी गई
8.	सेफिया हमीदिया यूनानी तिब्बिया कॉलेज, बुरहानपुर।	2-6-97	स्नातकीय	अनुमति दी गई
9.	जामिया तिब्बिया देवबन्द कॉलेज, सहारनपुर।	2/3-6-97	स्नातकीय	अनुमति दी गई
10.	तिब्बिया कॉलेज एण्ड हास्पीटल, श्रीनगर।	19/20-6-97	स्नातकीय	अनुमति दी गई
11.	कश्मीर तिब्बिया कॉलेज एण्ड अस्पताल, श्रीनगर।	21/22-6-97	स्नातकीय	अनुमति दी गई
12.	गवर्नमेंट यूनानी मेडीकल कॉलेज, चैन्नई।	2-6-97	स्नातकीय	अनुमति दी गई
13.	महर्षि चरक आयुर्वेद/यूनानी मेडीकल कॉलेज, देवबन्द।	30-6-97	स्नातकीय	अनुमति दी गई
14.	जूबेरिया तिब्बिया कॉलेज, जोधपुर	12-6-97	स्नातकीय	अनुमति दी गई
15.	इबने-सिना-तिब्बिया कॉलेज, आजमगढ़।	9-6-97	स्नातकीय	अनुमति दी गई
16.	राजपूताना तिब्बी कॉलेज, जयपुर	13-6-97	स्नातकीय	अनुमति नहीं दी गई
17.	स्टेट तकमिल-तिब्ब कॉलेज, लखनऊ	30-5-97	स्नातकीय	अनुमति दी गई
18.	आयुर्वेद एण्ड यूनानी तिब्बिया कॉलेज, करौलबाग, नई दिल्ली।	8-9-97	स्नातकोत्तर	अनुमति दी गई
19.	के०जी०एन० यूनानी मेडीकल कॉलेज, देहरादून	12/13-8-97	स्नातकीय	अनुमति दी गई
20.	बी०एल०के० यूनानी मेडीकल कॉलेज, बीजापुर।	11-8-97	स्नातकीय	अनुमति नहीं दी गई
21.	गवर्नमेंट निजामिया तिब्बिया कॉलेज, हैदराबाद	4/5-8-97	स्नातकोत्तर	अनुमति दी गई
22.	कलकत्ता यूनानी मेडीकल कॉलेज एण्ड होस्पीटल, कलकत्ता	7/8-8-97	स्नातकीय	अनुमति दी गई
23.	राजस्थान यूनानी मेडीकल कॉलेज, जयपुर।	14-6-97	स्नातकीय	अनुमति दी गई
24.	फेकल्टी ऑफ मेडीसिन, जामिया हमदर्द, नई दिल्ली।	10-9-97	स्नातकोत्तर	अनुमति दी गई
25.	यूनानी मेडीकल कॉलेज, नांदेड	1-6-97	स्नातकीय	अनुमति नहीं दी गई
26.	अहमद गरीब यूनानी मेडीकल कॉलेज, अक्कलकुआ।	30-8-97	स्नातकीय	अनुमति दी गई
27.	गवर्नमेंट यूनानी तिब्बी कॉलेज, पटना।	14/15-7-97	स्नातकीय	अनुमति दी गई
28.	अजमल खान तिब्बी कॉलेज, ए०एम०यू०, अलीगढ़	15-9-97	स्नातकीय/स्नातकोत्तर	अनुमति दी गई
29.	जैड०एच० यूनानी मेडीकल कॉलेज एण्ड अस्पताल, सीवन।	16-7-97	स्नातकीय	अनुमति दी गई
30.	अल्लमा-इकबाल यूनानी मेडीकल कालेज, मुख्यफकरनगर।	19-8-97	स्नातकीय	अनुमति दी गई
31.	मोहम्मदिया तिब्बिया कालेज, मालेगांव, नासिक।	22/23-9-97	स्नातकीय	अनुमति दी गई

सिद्ध

सिद्ध स्नातकीय पाठ्यक्रम की पाठ्यविधि और पाठ्यविवरण की पुनरीक्षा हेतु चेन्नई में और सिद्ध चिकित्सा के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के पाठ्यविधि और पाठ्यविवरण की पुनरीक्षा हेतु पलायमकोट्टई में कार्यशाला आयोजित करने का निर्णय लिया गया।

यह अंकित किया गया कि डॉ० एम० जी० आर० विश्वविद्यालय चेन्नई में भूतपूर्व उपाध्यक्ष (सिद्ध) डॉ० व्ही सुब्रह्मण्यम की अवधि समाप्त होने के कारण उपाध्यक्ष (सिद्ध) का पद रिक्त हो गया।

सिद्ध समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि सिद्ध शिक्षा समिति के उपसभापति डा० वी० अरुणाचलम केन्द्रीय परिषद् में उपाध्यक्ष (सिद्ध) के रूप में कार्य करेंगे।

निर्णय लिया कि सिद्ध समिति 24-4-98 को राजकीय सिद्ध मैडीकल कालेज, चेन्नई और 6-5-98 को राजकीय सिद्ध मेडिकल कालेज, पलायमकोट्टई का परिदर्शन करेंगे।

यह भी निर्णय लिया गया कि 5-5-98 को सिद्ध समिति अखिल थिरुविधमकोर सिद्ध वैद्य संगम, मुंचीरै, जिला के०के० तमिलनाडु का परिदर्शन करेगी।

पंजीयन

यह अंकित किया गया कि कुछ राज्यों को छोड़कर मार्च, 1991 तक की भारतीय चिकित्सा की केन्द्रीय पंजिका तैयार कर ली गई और अनुरक्षित है। अप्रैल, 1991 से मार्च 1994 तक की केन्द्रीय पंजिका तैयार करने का कार्य प्रारम्भ हो गया है। राज्य मंडलों से मार्च, 1998 तक की राज्य पंजिका देने का अनुरोध किया गया है ताकि केन्द्रीय पंजिका तैयार की जा सके।

यह अंकित किया गया कि पंजीयन समिति ने आसाम, उत्तरप्रदेश और जम्मू-काश्मीर के लिए एक उपसमिति का गठन किया है जो केन्द्रीय पंजिका तैयार करने के लिए राज्य पंजिका की प्रति न देने और पंजीयन सम्बन्धी अन्य मामलों के लिए भारतीय चिकित्सा पद्धति के राज्य मंडलों, राज्य स्वास्थ्य मंत्रालयों के निदेशकों और यदि संभव हो तो राज्य स्वास्थ्य मंत्रों से विमर्श करेगी। यह अंकित किया गया कि आसाम के लिए गठित उप-समिति ने आयुर्वेद चिकित्सा मंडल, आसाम के निबन्धक तथा आयुक्त एवं स्वास्थ्य सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, आसाम सरकार, गुवाहाटी के साथ 5-5-98 को विमर्श किया। समिति के परिदर्शन के पश्चात् आसाम राज्य सरकार ने अपने राज्य में पंजीयन के लिए भारतीय चिकित्सा परिषद् की आसाम राज्य परिषद् का गठन किया है।

आगे यह अंकित किया गया कि उत्तर प्रदेश के लिए गठित उपसमिति ने सचिव, चिकित्सा शिक्षा, उत्तर प्रदेश सरकार, निदेशक, भारतीय चिकित्सा परिषद्, लखनऊ और निबन्धक भारतीय चिकित्सा परिषद् से 28/29-5-97 से विमर्श किया।

निर्णय लिया गया कि प्रत्येक पांच वर्ष में परिचय-पत्रों का पुनः नवीनीकरण किया जाय और सम्बन्धित राज्य मंडल/परिषद् निर्धारित शुल्क लेकर चिकित्साभ्यासियों को नए परिचय-पत्र जारी करें।

केन्द्रीय परिषद् ने निर्णय लिया कि प्रत्येक राज्य मंडल भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की अनुसूचियों में सम्मिलित मान्यता प्राप्त चिकित्सा अर्हताधारी को ही पंजीयन की स्वीकृति देंगे।

यह भी निर्णय लिया गया कि इसके लिए राज्य सरकारों के सचिव, भारतीय चिकित्सा पद्धति के निदेशक और पंजीयन मंडल/परिषद् के निबन्धकों को एक पत्र लिखा जाय।

यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक राज्य मंडल में भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् के सदस्यों की एक स्थानीय पंजीयन समिति हो और उन्हें यथा अपेक्षित राज्य मंडल का निरीक्षण करने और यह देखने के लिए प्राधिकृत किया गया कि पंजीयन अद्यतन है या नहीं।

यह निर्णय लिया गया कि ऐसे राज्यों/केन्द्रीय शासित प्रदेशों के निवासी भारतीय चिकित्सा पद्धति के चिकित्साभ्यासी जहां मंडल/परिषद् नहीं है, को राज्य मंडल के माध्यम से प्रमाण-पत्र के लिए इस परिषद् को आवेदन करना चाहिए। वे 50/- रु. की अदायगी पर भारतीय चिकित्सा के केन्द्रीय रजिस्टर में अपने नाम की प्रविष्टि का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर सकते हैं। उन्हें सीधे पंजीयन की आवश्यकता नहीं है।

भारतीय चिकित्सा की आसाम राज्य परिषद् का गठन करने पर सचिव, आसाम सरकार का धन्यवाद करने का संकल्प लिया। यह भी संकल्प लिया गया कि परिषद् की नामावलि परिवर्तित कर राज्य भारतीय चिकित्सा परिषद् करने के लिए भी परिषद् को लिखा जाय।

यह भी अनुरोध करने का निर्णय लिया गया कि चूंकि राज्य परिषद् का गठन अभी हुआ है, अतः आसाम राज्य के प्रतिनिधि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् के तीन विद्यमान सदस्यों को नई गठित परिषद् में सम्मिलित कर लिया जाय जिससे उपयुक्त कार्य हो सकेगा।

बजट संसाधन

वर्ष 1997-1998 के लिए केन्द्रीय परिषद् द्वारा अनुमोदित और सरकार के द्वारा जारी/स्वीकृत बजट प्राक्कलन और संशोधित प्राक्कलन निम्न हैं :

	गैर-योजना रु० लाखों में	योजना रु० लाखों में
1. बजट प्राक्कलन 1997-98 (परिषद् द्वारा अनुमोदित)	102.00	106.00
2. बजट प्राक्कलन-वर्ष 1997-98 (मंत्रालय द्वारा स्वीकृत)	31.00	30.00
3. संशोधित प्राक्कलन (परिषद् द्वारा अनुमोदित)	71.64	30.00
4. संशोधित प्राक्कलन (मंत्रालय द्वारा स्वीकृत)	42.00	27.00
5. मंत्रालय द्वारा जारी अनुदान	42.00	27.00

केन्द्रीय परिषद् एक लघु संगठन है, तथापि यह सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक सावधानी रखी जाती है कि विभिन्न संवर्गों के लिए भारत सरकार द्वारा किया गया आरक्षण बनाए रखा जाए। केन्द्रीय परिषद् के 35 कर्मचारियों में से विभिन्न संवर्गों के लिए किया गया आरक्षण निम्नवत् है :

अनुसूचित जाति	-	4
अनुसूचित-जनजाति	-	3
विकलांग	-	2
भूतपूर्व सैनिक	-	1

भविष्य का कार्यक्रम

1. आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध के स्नातकीय और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के पाठ्यविधि और पाठ्यविवरण पुनरीक्षा और उस सम्बन्ध में कार्यशालाओं का आयोजन करना।
2. भारतीय चिकित्सा के निम्न स्तरीय महाविद्यालयों की कुकुरमुत्ता वृद्धि पर रोक के लिए कदम उठाना।
3. भारतीय चिकित्सा के अयोग्य/अपंजीकृत चिकित्साभ्यासियों द्वारा अप्राधिकृत चिकित्साभ्यास पर रोक लगाना।

कार्यालय : महानिदेशक लेखापरीक्षा, केन्द्रीय राजस्व

नई दिल्ली-110002

स. ए. एम. जी11/एस.ए.आर./ के.भा.चि.प./98-99/425

दिनांक 23.2.99

प्रति प्रमाणित वार्षिक लेखे की प्रति, उसके लेखा परीक्षा प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षा प्रमाण पत्र सहित श्री पी. आर. शर्मा, सचिव, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् 61-65, संस्थागत क्षेत्र, जनकपुरी 'डी' ब्लॉक, नई दिल्ली-58, को उनके पत्र सं. दिनांक..... के संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित की जाती है। वह तिथि जिसको शासी निकाय द्वारा प्रमाणित वार्षिक लेखे पर विचार किया गया है, संबंधित दस्तावेजों सहित इस कार्यालय को सूचित किया जाए। प्रमाणित वार्षिक लेखे के हिंदी रूपांतर की पाँच प्रतियाँ भी शीघ्र इस कार्यालय को भेजी जाएँ। परिषद् से अनुरोध है कि लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संसद के पटल पर रखने की तिथि इस कार्यालय को सूचित की जाए।

हस्ता०/

मीनाक्षी गुप्ता

निदेशक लेखापरीक्षा (निरीक्षण 11)

सं. ओ. ए. 11/एस.ए.आर./ के.भा.चि.प./98-99/426

दिनांक :

प्रति प्रमाणित वार्षिक लेखे की प्रति, उसके लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षा प्रमाणपत्र सहित श्री सुनील कुमार राय, प्रशासन अधिकारी (रिपोर्ट-ए.बी.), भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कार्यालय बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली को मुख्यालय कार्यालय के पत्र सं. 441-रिपोर्ट (स्वा.नि.)/240-98 दिनांक 10.12.98 के संदर्भ में अग्रेषित की जाती है।

मुख्यालय की टिप्पणियों/अभ्युक्तियों के उत्तरों से समाविष्ट विवरण संलग्न है।

यह नि. ले. प. के. रा. के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

हस्ता/-

अनुलग्नक : यथोपरि

निदेशक लेखापरीक्षा (निरीक्षण)

वर्ष 1997-98 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, नई दिल्ली के लेखाओं का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

1. परिचय

भारतीय चिकित्सा पद्धति के पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षा के न्यूनतम मानक विहित करने, भारतीय चिकित्सा की केन्द्रीय पंजिका का अनुरक्षण आदि और उससे सम्बन्धित अन्य मामलों के प्रयोजन से भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 के अधीन वर्ष 1971 में भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, नई दिल्ली की स्थापना की गई थी।

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 के अधीन बने परिषद् के विनियम, 1976 के अधीन नियम 86 के अनुसार यथा अपेक्षित परिषद् के लेखाओं की लेखा परीक्षा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) के अधीन की जाती है।

परिषद् को वित्त की पूर्ति मुख्यतः भारत सरकार से प्राप्त अनुदान से होती है। परिषद् को वर्ष 1997-98 के दौरान गैर-योजना के अधीन 42.00 लाख रुपये और योजना के अधीन 27.00 लाख रुपये की अनुदान राशि प्राप्त हुई है।

2. लेखाओं पर अभिमत

2.1 परिसम्पत्तियों का अवमूल्यन

परिसम्पत्ति लेखा में प्राप्तियों की कीमत दर्शाई गई हैं और उसमें बेकार, अप्रयुक्त, अप्रतिकार्य और निष्प्रयोजित परिसम्पत्तियों को निकाला नहीं गया है और पूंजीगत लेखाओं की तदनुसार कटौती के साथ अवमूल्यन भी लेखाओं में नहीं लिया गया। अतः पूंजी और परिसम्पत्ति लेखा तदनुसार बढ़ा-चढ़ाकर लिखे गए हैं, अतः इससे सही चित्रांकन नहीं हो पाता।

2.2 बैंक समायोजन

भारत सरकार के प्राप्ति और अदायगी नियम, 1983 के नियम 13.5 के अनुसार प्रत्येक माह/वर्ष की समाप्ति पर बैंक विवरणिका का समायोजन आहरण और संवितरण अधिकारी के महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है। समायोजन में किसी प्रकार के विलम्ब के परिणामस्वरूप धोखाधड़ी और दुरुपयोग हो सकता है जो प्रबन्धक के ध्यान में नहीं आ सकता है। ऐसे समायोजन की अनुपस्थिति में बैंक में नकद राशि और लेखाओं में कैश बुक में दर्शाए गए अन्तः शेष का सही चित्रांकन सत्यापित नहीं हो सका।

स्थान : नई दिल्ली

तिथि : 23.2.99

हस्ता./-

महानिदेशक, लेखा परीक्षा

केन्द्रीय राजस्व

लेखा परीक्षा प्रमाण-पत्र

मैंने भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, नई दिल्ली के 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष के अदायगी एवं भुगतान का लेखा/आय एवं व्यय लेखा और 31 मार्च, 1998 को यथा तुलन-पत्र की जाँच कर ली है। मैंने सभी अपेक्षित सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं तथा संलग्न लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में दी गई अभ्युक्तियों के अधीन रहते हुए अपनी लेखा परीक्षा के परिणामस्वरूप मैं प्रमाणित करता हूँ कि मेरी राय तथा मेरी सर्वोत्तम जानकारी तथा मुझे दिए गए स्पष्टीकरण तथा परिषद् की बहियों में दर्शाए गए उल्लेखों के अनुसार ये लेखा और तुलन-पत्र उपयुक्त रूप से तैयार किए गए हैं और परिषद् के कार्यकलापों का सही व उचित रूप प्रस्तुत करते हैं।

हस्ता./-

महानिदेशक लेखा परीक्षा
केन्द्रीय राजस्व

स्थान : नई दिल्ली

तिथि : 23.2.99

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्
31 मार्च, 1998 को समाप्त हुए वर्ष के

प्राप्तियाँ	गैर-योजना		योजना	
	राशि	राशि	राशि	राशि
1.4.97 को आद्य शेष				
हस्तागत रोकड़	21,724			
बैंक में नकद	1,42,117	1,63,841.00	99,875	99,875
वर्ष 1997-98 के दौरान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय नई दिल्ली से प्राप्त सहायता अनुदान		42,00,000.00		27,00,000
अग्रिमों की वसूली				
पर्व अग्रिम	13,260			
स्कूटर अग्रिम	6,120			
गृह निर्माण अग्रिम	20,400	39,780.00		—
विविध प्रेषण				
सामान्य भविष्य निधि	3,80,322			
आयकर	16,388			
डाक बीमा योजना	41,976	4,38,686.00		—
सहायक अनुदान के अतिरिक्त आय				
कर्मचारियों से सी०जी०एच०एस० योजना का अंशदान	2,260.00			
अवकाश वेतन अंशदान	3,410.00			
पेंशन अंशदान	3,712.00			
भविष्य निधि का ब्याज	3,303.48			
कर्मचारियों से स्टाफ कार की वसूली	400.00	13,085.48		—
मान्यता शुल्क				
फीस 1992-93 से 1996-97	1,45,000			
फीस - 1997-98	18,78,000			
1997-98 में नये महाविद्यालयों से प्राप्त शुल्क	8,70,000			
1997-98 में अधिक प्राप्त शुल्क	1,35,000	30,28,000.00		—
अग्रणीत शेष		78,83,392.48		27,99,875

नई दिल्ली
लिए प्राप्तियों एवं भुगतानों का लेखा

अदायगी	गैर-योजना		योजना	
	राशि	राशि	राशि	राशि
अधिकारियों का वेतन	36,775			
स्थापना का वेतन	6,08,607			
चिकित्सा बंदी भत्ता	17,400			
स्नातकोत्तर भत्ता	2,400			
मंहगाई भत्ता	8,89,073			
गृहभाटक भत्ता	1,58,784			
नगर प्रतिकर भत्ता	25,776			
अन्तरिम सहायता-I	34,474			
अन्तरिम सहायता-II	52,182			
अन्तरिम सहायता-III	52,182			
वाहन प्रभार भत्ता	1,724			
धुलाई भत्ता	1,605			
बोनस	65,529			
शिक्षा शुल्क प्रतिपूर्ति	1,500			
चिकित्सा प्रतिपूर्ति	8,447			
के०स०स्वा० योजना अंशदान	38,368			
अवकाश यात्रा रियायत	9,456			
कर्मचारियों को मजदूरी	29,280			
समयोपरि भत्ता	24,437			
वाहन भत्ता	5,200			
वेतन आयोग की बकाया राशि	2,51,836	23,15,035.00		
2. आकस्मिक व्यय				
(क) अनावर्ती व्यय				
फर्नीचर उपस्कर	4,598		92,570	
कार्यालय उपस्करण	12,005		—	
लाइब्रेरी के लिए पुस्तकें	—	16,603.00	95,282	1,87,852
अग्रणीत शेष		23,31,638.00		1,87,852

प्राप्तियाँ	गैर-योजना		योजना	
	राशि	राशि	राशि	राशि
पीछे से लाया गया शेष		78,83,392.48		27,99,875
डाक टिकट 1996-97 का अग्रिम		5,000.00		—
अग्रणीत शेष		<u>78,88,392.48</u>		<u>27,99,875</u>

अदायगी	गैर-योजना		योजना	
	राशि	राशि	राशि	राशि
पीछे से लाया गया शेष		23,31,638.00		1,87,852
(ख) आवर्ती व्यय				
लेखन सामग्री		70,861		38,625
दूरभाष		1,10,530		—
डाक एवं तार		33,114		10,000
समाचार पत्र एवं आवधिक पुस्तकें		5,644		—
यूनीफार्म प्रभार		10,284		—
लेखा परीक्षा शुल्क		42,700		—
विधि सम्बन्धी व्यय		1,01,550		—
विज्ञापन		15,909		1,11,600
कार्यालय उपकरणों का रख-रखाव		26,759		—
स्टाफ कार प्रभार		35,483		—
कम्प्यूटर का व्यय		10,500		—
प्रकाशन		2,24,510		—
वाहन प्रभार		11,964		—
विविध प्रभार		1,11,303	8,11,111.00	1,96,483
		<u>8,11,111.00</u>		<u>3,56,708</u>
3. यात्रा व्यय				
अध्यक्ष/उपाध्यक्ष		36,007		—
सचिव/कर्मचारी		79,839		—
चयन/विभागीय पदोन्नति समिति		21,126		—
कार्यकारिणी समिति		1,83,473		—
विनियम समिति		20,643		—
उप-समिति		2,60,840		18,374
परिदर्शन समिति		11,43,824		—
परिषद् के सदस्य		4,19,666		—
आयुर्वेद एवं यूनानी पर कार्यशाला		—		10,71,877
विचारगोष्ठी		—	21,65,418.00	6,22,763
		<u>21,65,418.00</u>		<u>17,13,014</u>
4. कर्मचारियों को अग्रिम				
पर्व अग्रिम		15,600		—
गृह निर्माण अग्रिम		59,000	74,600.00	—
		<u>59,000</u>		
5. महाविद्यालयों की मान्यता शुल्क की वापिसी			30,000.00	—
अग्रणीत शेष			<u>54,12,767.00</u>	<u>22,57,574</u>

भारतीय चिकित्सा
31 मार्च, 1998 को समाप्त हुए वर्ष के

व्यय	गैर-योजना		योजना	
	राशि	राशि	राशि	राशि
1. वेतन एवं भत्ते				
अधिकारियों का वेतन	36,775			
स्थापना का वेतन	6,08,607			
चिकित्सा बंदी भत्ता	17,400			
स्नातकोत्तर भत्ता	2,400			
मंहगाई भत्ता	8,89,073			
गृहभाटक भत्ता	1,58,784			
नगर प्रतिकर भत्ता	25,776			
अन्तरिम सहायता-I	34,474			
अन्तरिम सहायता-II	52,182			
अन्तरिम सहायता-III	52,182			
वाहन प्रभार भत्ता	1,724			
धुलाई भत्ता	1,605			
बोनस	65,529			
शिक्षा शुल्क प्रतिपूर्ति	1,500			
चिकित्सा प्रतिपूर्ति	8,447			
के०स०स्वा० योजना अंशदान	38,368			
अवकाश यात्रा रियायत	9,456			
कर्मचारियों को मजदूरी	29,280			
समयोपरि भत्ता	24,437			
वाहन भत्ता	5,200			
वेतन आयोग का बकाया	2,51,836	23,15,035.00		
2. आकस्मिक व्यय				
लेखन सामग्री	70,861		38,625	
दूरभाष	1,10,530		—	
डाक एवं तार	33,114		10,000	
समाचार पत्र एवं आवधिक पुस्तकें	5,644		—	

अग्रणीत शेष

2,20,149

23,15,035.00

48,625

केन्द्रीय परिषद्, नई दिल्ली
लिए आय और व्यय का लेखा

आय	गैर-योजना		योजना	
	राशि	राशि	राशि	राशि
वर्ष 1997-98 के दौरान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय नई दिल्ली से प्राप्त सहायता अनुदान	42,00,000		27,00,000	
घटाएँ-पूँजीगत अनुदान	16,603	41,83,397.00	1,87,852	25,12,148
विविध प्राप्तियाँ				
कर्मचारियों से				
के०स०स्वा० योजना का अंशदान	2,260.00			
अवकाश वेतन अंशदान	3,410.00			
पेंशन अंशदान	3,712.00			
भविष्य निधि पर ब्याज	3,303.48			
कर्मचारी से स्टाफ कार की वसूली	400.00	13,085.48		—
वसूल करने योग्य मान्यता शुल्क 1997-1998		36,40,000.00		—

अग्रणीत शेष

78,36,482.48

25,12,148

	गैर-योजना		योजना	
	राशि	राशि	राशि	राशि
पीछे से लाया गया शेष	2,20,149	23,15,035.00	48,625	—
यूनीफार्म प्रभार	10,284		—	
लेखा परीक्षा शुल्क	42,700		—	
विधि सम्बन्धी व्यय	1,01,550		—	
विज्ञापन	15,909		1,11,600	
कार्यालय उपकरणों का रख-रखाव	26,759		—	
स्टाफ कार प्रभार	35,483		—	
कम्प्यूटर प्रभार	10,500		—	
प्रकाशन	2,24,510		—	
वाहन प्रभार	11,964		—	
विविध प्रभार	1,11,303	8,11,111.00	1,96,483	3,56,708
3. यात्रा प्रभार				
अध्यक्ष/उपाध्यक्ष	36,007		—	
सचिव/कर्मचारी	79,839		—	
चयन/विभागीय पदोन्नति समिति	21,126		—	
कार्यकारिणी समिति	1,83,473		—	
विनियम समिति	20,643		—	
उप-समिति	2,60,840		18,374	
परिदर्शन समिति	11,43,824		—	
केन्द्रीय परिषद् के सदस्य	4,19,666		—	
आयुर्वेद एवं यूनानी पर कार्यशाला	—		10,71,877	
विचार गोष्ठी	—	21,65,418.00	6,22,763	17,13,014
4. महाविद्यालयों की				
मान्यता शुल्क की वापिसी		30,000.00	—	
5. पेंशन निधि में अंशदान		8,80,750.00	—	
6. व्यय से आय की अधिकता		16,34,168.48	4,42,426	
कुल		<u>78,36,482.48</u>	<u>25,12,148</u>	

आय	गैर-योजना		योजना	
	राशि	राशि	राशि	राशि
पीछे से लाया गया शेष		78,36,482.48		25,12,148
कुल		<u>78,36,482.48</u>		<u>25,12,148</u>

भारतीय चिकित्सा
31 मार्च, 1998 को

दायित्व	गैर-योजना		योजना	
	राशि	राशि	राशि	राशि
सामान्य आरक्षित स्थापना के दिन प्राप्त परिसंपत्तियां				
गत तुलन-पत्र के अनुसार		20,080.15		—
शासकीय अनुदान से प्राप्त परिसंपत्तियां				
गत तुलन-पत्र के अनुसार	5,09,880.30		5,60,906.32	
विमोचन - 1996-97	65,503.78		2,32,159.62	
	<u>4,44,376.52</u>		<u>3,28,746.70</u>	
वर्ष के दौरान जोड़ा गया	16,603.00		1,87,852.00	
	<u>4,60,979.52</u>		<u>5,16,598.70</u>	
वर्ष के दौरान स्थानान्तरित	3,28,746.70	7,89,726.22	3,28,746.70	1,87,852
अग्रणीत शेष		<u>8,09,806.37</u>		<u>1,87,852</u>

केन्द्रीय परिषद्, नई दिल्ली
यथा तुलन पत्र

परिसंपत्तियां	गैर-योजना		योजना	
	राशि	राशि	राशि	राशि
(क) अनावर्तक प्रकृति				
1. फर्नीचर एवं उपस्कर				
गत तुलन-पत्र के अनुसार	1,93,880.65		42,687.76	
घटाएं-कार्यालय उपकरणों को स्थानान्तरित	36,620.00		—	
विमोचन - 1996-97	1,57,260.65		42,687.76	
	<u>17,409.85</u>		<u>—</u>	
वर्ष के दौरान जोड़ा गया	1,39,850.80		42,687.76	
	<u>4,598.00</u>		<u>92,570.00</u>	
	1,44,448.80		1,35,257.76	
वर्ष के दौरान स्थानान्तरित	49,248.16	1,93,696.96	42,687.76	92,570
2. वातानुकूलित उपकरण				
गत तुलन-पत्र के अनुसार	23,640.73		26,789.80	
घटाएं-कार्यालय उपकरणों का स्थानान्तरण	1,300.00	22,340.73	—	
विमोचन 1996-97	—		26,789.80	
	<u>—</u>		<u>26,789.80</u>	
3. पुस्तकालय के लिए पुस्तकें				
गत तुलन-पत्र के अनुसार	30,574.91		—	
वर्ष के दौरान जोड़ा गया	—	30,574.91	95,282.00	95,282
	<u>—</u>		<u>—</u>	
4. कार्यालय उपकरण				
गत तुलन-पत्र के अनुसार	2,81,864.16		4,91,428.76	
जोड़े-फर्नीचर एवं उपस्कर तथा वातानुकूलित उपकरणों से स्थानान्तरित	37,920.00		—	
अग्रणीत शेष	<u>3,19,784.16</u>	<u>2,46,612.60</u>	<u>4,91,428.76</u>	<u>1,87,852</u>

दायित्व	गैर-योजना		योजना	
	राशि	राशि	राशि	राशि
पीछे से लाया गया शेष		8,09,806.37		1,87,852
उपकुल		<u>8,09,806.37</u>		<u>1,87,852</u>
व्यय से आय की अधिकता				
गत तुलन-पत्र के अनुसार	18,75,119.00		1,19,835.00	
वर्ष के दौरान जोड़ा गया	<u>16,34,168.48</u>	35,09,287.48	<u>4,42,426.00</u>	5,62,261
मान्यता शुल्क				
गत तुलन-पत्र के अनुसार	1,59,000.00			
घटाएं-वर्ष में समायोजित	<u>1,13,000.00</u>			
	46,000.00			
वर्ष के दौरान जोड़ा गया	<u>1,35,000.00</u>	1,81,000.00		
कुल		<u>45,00,093.85</u>		<u>7,50,113</u>

परिसंपत्तियां	गैर-योजना		योजना	
	राशि	राशि	राशि	राशि
पीछे से लाया गया शेष	3,19,784.16	2,46,612.60	4,91,428.76	1,87,852
विमोचन 1996-97	<u>48,093.93</u>		<u>2,05,369.82</u>	
	2,71,690.23		2,86,058.94	
वर्ष के दौरान जोड़ा गया	<u>12,005.00</u>		<u>—</u>	
	2,83,695.23		2,86,058.94	
वर्ष के दौरान स्थानान्तरित	<u>2,79,498.54</u>	5,63,193.77	<u>2,86,058.94</u>	
उपकुल		<u>8,09,806.37</u>		<u>1,87,852</u>
(ख) आवर्ती प्रकृति				
1. दूरभाष				
गत तुलन-पत्र के अनुसार	<u>9,228.00</u>	9,228.00	<u>19,960.00</u>	19,960
2. पर्व अग्रिम				
गत तुलन-पत्र के अनुसार	11,280.00			
वर्ष के दौरान जोड़ा गया	<u>15,600.00</u>			
	26,880.00			
वर्ष के दौरान की गई वसूली	<u>13,260.00</u>	13,620.00		
3. स्कूटर अग्रिम				
गत तुलन-पत्र के अनुसार	16,170.00			
वर्ष के दौरान वसूली	<u>6,120.00</u>	10,050.00		
4. गृह निर्माण अग्रिम				
गत तुलन-पत्र के अनुसार	1,99,600.00			
वर्ष के दौरान जोड़ा गया	<u>59,000.00</u>			
	258,500.00			
वर्ष के दौरान वसूली	<u>20,400.00</u>	2,38,200.00		
5. डाक टिकट अग्रिम				
गत तुलन-पत्र के अनुसार	5,000.00			
वर्ष के दौरान विमोचित	<u>5,000.00</u>			
6. मान्यता शुल्क				
गत तुलन-पत्र के अनुसार	16,29,000.00			
घटाएं-वसूली - 1,45,000				
समायोजित - 1,13,000	<u>2,58,000.00</u>			
	13,71,000.00			
वर्ष के दौरान जोड़ा गया	<u>8,92,000.00</u>	22,63,000.00		
7. 31-3-98 को अन्तः शेष				
हस्तगत रोकड़	63,644.00			
बैंक में नकद	<u>10,85,372.48</u>		5,42,301.00	5,42,301
डाक टिकट	7,173.00	11,56,189.48		
कुल		<u>45,00,093.85</u>		<u>7,50,113</u>

भारतीय चिकित्सा
सामान्य
31 मार्च, 1998 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

प्राप्तियाँ	राशि	राशि
बचत खाते में 14.97 को आद्य शेष		2,24,798.28
कर्मचारियों द्वारा अंशदान	2,40,212	
कर्मचारियों से ऋण की वसूली	1,40,050	3,80,262.00
अल्पावधि जमा की परिपक्वता		90,000.00
बैंक से अर्जित ब्याज	1,44,230.48	
घटाएँ-परिषद् के खाते में स्थानांतरित	3,303.48	1,40,927.00
कुल		<u>8,35,987.28</u>

केन्द्रीय परिषद्, नई दिल्ली
भविष्य निधि
प्राप्तियाँ एवं भुगतानों का लेखा

भुगतान	राशि	राशि
कर्मचारियों को अग्रिम	2,92,900.00	
कर्मचारियों की आंशिक/अन्तिम निकासी	2,96,216.00	5,89,116.00
अल्पावधि जमा योजना में विनियोजन		1,90,000.00
बैंक प्रभार		25.00
31-3-98 को स्टेट बैंक के बचत खाते में अन्तः शेष		56,846.28
कुल		<u>8,35,987.28</u>

भारतीय चिकित्सा
सामान्य
31 मार्च, 1998 को यथा

1996-97	दायित्व	राशि	राशि
17,43,898.28	गत तुलन-पत्र के अनुसार	14,78,248.28	
	वर्ष के दौरान जोड़ा गया		
2,37,541.00	अंशदान	2,40,212.00	
1,72,822.00	ब्याज	1,40,927.00	
21,54,261.28		18,59,387.28	
6,76,013.00	घटाएँ-विमोचित	2,96,241.00	15,63,146.28
<u>14,78,248.28</u>			
<u>14,78,248.28</u>	कुल		<u>15,63,146.28</u>

केन्द्रीय परिषद्, नई दिल्ली
भविष्य निधि
तुलन-पत्र

1996-97	परिसंपत्तियां	राशि	राशि
	1. विनियोजन		
	(क) विशेष जमा योजना		
<u>1,70,500.00</u>	गत-तुलन-पत्र के अनुसार		1,70,500.00
1,70,500.00	(ख) दोहरा लाभ/ अल्पावधि जमा		
13,00,000.00	गत तुलन-पत्र के अनुसार	9,00,000.00	
9,00,000.00	वर्ष के दौरान जोड़ा गया	1,90,000.00	
22,00,000.00		10,90,000.00	
13,00,000.00	घटाएँ : विमोचित	90,000.00	10,00,000.00
<u>9,00,000.00</u>			
2,21,730.00	2. कर्मचारियों को ऋण		
1,55,900.00	गत तुलन-पत्र के अनुसार	1,82,950.00	
3,77,630.00	वर्ष के दौरान जोड़ा गया	2,92,900.00	
1,94,680.00		4,75,850.00	
1,82,950.00	घटाएँ-वर्ष के दौरान की गई वसूली	1,40,050.00	3,35,800.00
2,24,798.28	3. 31.3.98 को बैंक के बचत खाते में अन्तःशेष		
<u>2,24,798.28</u>			56,846.28
<u>14,78,248.28</u>	कुल		<u>15,63,146.28</u>

भारतीय चिकित्सा
पेंशन एवं
31 मार्च, 1998 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

प्राप्तियाँ	राशि	राशि
1.4.97 को बचत खाते में आद्य शेष		
बैंक ऑफ इण्डिया	2,06,606.40	
स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया	<u>6,049.30</u>	2,12,655.70
वर्ष के दौरान अंशदान		8,80,750.00
बैंक से अर्जित ब्याज		1,48,124.40
अल्पावधि जमा की परिपक्वता		4,00,000.00
कुल		<u>16,41,530.10</u>

केन्द्रीय परिषद्, नई दिल्ली
ग्रेज्युटी निधि
प्राप्तियाँ एवं भुगतानों का लेखा

भुगतान	राशि
कर्मचारियों की मासिक पेंशन	1,65,305.00
कर्मचारियों की अन्तिम अदायगी	45,923.00
अल्पावधि जमा योजना में विनियोजन	8,87,960.00
बैंक प्रभार	65.00
स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया में बचत खाते में 31-3-98 को अन्तः शेष	5,42,277.10
कुल	<u>16,41,530.10</u>

भारतीय चिकित्सा
पेंशन एवं
31 मार्च, 1998 को यथा


1996-97	दायित्व	राशि	राशि
10,53,428.50	गत तुलन-पत्र के अनुसार	6,12,655.70	
42,250.00	वर्ष के दौरान जोड़ा गया	8,80,750.00	
40,289.20	ब्याज	1,48,124.40	
11,35,967.70		16,41,530.10	
5,23,312.00	घटाएँ-विमोचित	2,11,293.00	14,30,237.10
6,12,655.70			
6,12,655.70	कुल		14,30,237.10

केन्द्रीय परिषद्, नई दिल्ली
ग्रेज्युटी निधि
तुलन-पत्र


1996-97	परिसंपत्तियां	राशि	राशि
	विनियोजन		
9,50,000.00	गत तुलन-पत्र के अनुसार	4,00,000.00	
3,50,000.00	वर्ष के दौरान जोड़ा गया	8,87,960.00	
13,00,000.00		12,87,960.00	
9,00,000.00	घटाएँ - विमोचित	4,00,000.00	8,87,960.00
4,00,000.00			
2,12,655.70	बचत खाते में 31.3.98 का अन्तः शेष		5,42,277.10
2,12,655.70			
6,12,655.70	कुल		14,30,237.10

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE


EXECUTIVE COMMITTEE



PRESIDENT



REGISTRAR-CUM-SECRETARY



CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE NEW DELHI

ANNUAL REPORT FOR THE YEAR 1997-98

The **Central Council of Indian Medicine** is a **Statutory Body** constituted under the **Indian Medicine Central Council Act, 1970** vide Govt. of India Gazette Notification Extraordinary Part II Section 3 (ii) dated 10.8.71. The Central Council was reconstituted in 1984 & 1995. The main objects of the Central Council are as under:-

- i) To prescribe minimum standards of education in Indian Systems of Medicine viz. Ayurved, Siddha and Unani Tibb.
- ii) To advise Central Government in matters relating to recognition/withdrawal of medical qualifications in Indian Medicine.
- iii) To maintain a Central Register of Indian Medicine and revise the Register from time to time and prescribe standards of professional conduct, etiquette and code of ethics to be observed by the practitioners.

Since its establishment in 1971, the Central Council has been carrying on and implementing various regulations including the Curriculum and Syllabus in Indian Systems of Medicine viz. Ayurved, Siddha and Unani Tibb at Under-graduate and Post-graduate level.

All the colleges of Indian Systems of Medicine are affiliated to various Universities in the country. These colleges are following the minimum standards of education, which include curriculum and syllabus, prescribed by Central Council.

The Central Council decided to review the Curriculum & Syllabus already prescribed. It was decided to organise Workshops to review the Curriculum & Syllabus of different subjects of Ayurveda, Siddha and Unani Tibb. Accordingly, workshops are being organised for the purpose of Under-graduate & Post-graduate courses. During the year four workshops of Ayurved and four workshops of Unani have been organised. Workshop on Siddha education will be organised shortly.

The Central Council of Indian Medicine approved the Regulation named, Central Council of Indian Medicine (Norms & Guidelines for fee and guidelines for admission in colleges of Indian Systems of Medicine) Regulation.

CENTRAL REGISTER OF INDIAN MEDICINE

Preparation & maintenance of Central Register of Indian Medicine is one of the main objects of Central Council. As per provision of the IMCC Act, 1970, Central Council is maintaining the Central Register in the prescribed manner, a register of Indian Medicine which is containing, the names of all persons who are enrolled on any State Register of Indian Medicine & who possess any of the recognised medical qualification included in the Schedules to the Indian Medicine Central Council Act, 1970. The Central Council is maintaining the Central Register of Indian Medicine and updating of the same is a continuous process.

The Council has already prescribed minimum standards of education and syllabi for studies. To verify the actual observance of these standards the Council has been sending teams of members to visit the educational institutions in the country. These teams submit the report to the Council pointing out shortcomings. Directives are being sent to the institution to remove the shortcomings within a specified period or face stoppage of admission in the next session. Resulting the standard of colleges are being improved.

To assess the present status of Indian Systems of Medicine colleges at a glance the decision to carryout mass visitation of colleges was taken by the Central Council of Indian Medicine. In compliance of the same 108 Ayurved and 30 Unani colleges were visited during the year to assess available facilities of teaching and practical training and requirements laid down by the Central Council.

ADMINISTRATIVE REPORT

COMPOSITION OF THE CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE

The following are the members of the Third constituted Central Council: -

AYURVED

1. Dr. Marry Vaman Reddy
2. Dr. Sivanandam
3. Dr. Gajendra Bharali
4. Dr. Deovrat Narayan Singh
5. Dr. Maheshwar Pandey
6. Dr. Indra Mohan Jha
7. Dr. Alakh Narayan Singh
8. Dr. Om Prakash Vashisth

9. Dr. Patel Arvind Keshavlal
10. Dr. Ramesh Chandra Bhuptani
11. Dr. Pawan Kumar Vashisth
12. Dr. Dev Narayan
13. Dr. Rudramani Sharma
14. Dr. Gyan Chand
15. Dr. Jaya Prakash Narayan
16. Dr. SV Savadi
17. Dr. Rajagopalan K
18. Dr. D Ramanathan
19. Dr. Ranvir Singh Parihar
20. Dr. Pramod Kumar Jain
21. Dr. Rajesh Shukla
22. Dr. Satish Dutt Garg
23. Dr. Gyan Kumar Ahuja
24. Dr. Shah Kishan Vithaldas
25. Dr. Yadav Ramesh Krishna
26. Dr. NV Salgarkar
27. Dr. Ghanshyam Mishra
28. Dr. Jagjeet Singh
29. Dr. Mukesh Walia
30. Dr. Ved Prakash Tyagi
31. Dr. Mahendra Kumar Sharma
32. Dr. Raghunandan Sharma
33. Dr. P Narayanan
34. Dr. Mukesh Sharma
35. Dr. Patanjali Dwivedi
36. Dr. Vachaspati Trivedi
37. Dr. Bhrigupati Pandey
38. Dr. Kishor Mohan Sharma
39. Dr. Swapan Kumar Bhunia
40. Dr. Ramesh Chandra Bhattacharjee
41. Dr. NK Chawla
42. Dr. RB Jain
43. Dr. KR Ramachandran
44. Dr. PK Warriar
45. Dr. KK Pandey
46. Dr. Anand Swaroop Upadhyaya
47. Dr. TM Pawar
48. Dr. RV Sohgaora
49. Vaidya Dinanath R Upadhyaya
50. Vaidya GP Upadhyaya
51. Vaidya Rohidas Sambhu Patil
52. Vaidya Shri Mohan Narayan Tambe
53. Dr. Kailash Chandra Padhi

54. Vaidya Ram Bharosi Mishra
55. Dr. D Athysaya Raj
56. Dr. Lakshmi Narayan Maity
57. Dr. T Kishan
58. Vaidya SP Bhattacharya
59. Dr. SN Parchure
60. Vaidya I Sanjeeva Rao
61. Vaidya SK Sharma
62. Vaidya SK Mishra
63. Vaidya Devendra Kumar Triguna
64. Vaidya GL Chanana
65. Prof. Kulwant Singh
66. Prof. R Bharat Rajan
67. Vaidya Shri Ram Sharma
68. Vaidya SK Sharma Chhangani
69. Vaidya Sanjay Janardan Tilak
70. Vaidya Abdul Wahid
71. Dr. Ved Vratt Sharma
72. Dr. CHS Shastri
73. Vaidya Hari Narayan Swamy
74. Vaidya B Vaidyanathan
75. Prof. Jyotir Mitra Acharya
76. Vaidya Sadhna Mishra
77. Vaidya Balendu Prakash

SIDDHA

78. Dr. V Stanley Jones
79. Dr. S Gopalakrishnan
80. Dr. V Arunachalam
81. Dr. MA Kumar

UANANI

82. Dr. S S Rawat
83. Hakim Farooq Ahmed Abdul Aziz
84. Dr. Vinod Pundir
85. Dr. Bansilal Pandit
86. Prof. Hakim S Shaji Hyder
87. Dr. Mohd. Akhtar Masood Siddiqui
88. Prof. Hakim A M Khan
89. Hakim Ved Prakash Sharma
90. Hakim Saud Ali Khan
91. Dr. K Shafiullah Khan
92. Hakim Shamim Ahmed

93. Hakim Hafiz S Habibur Rahman
94. Hakim Syed Faizan Ahmed
95. Prof Jamil Ahmed
96. Dr. Syed Shahabul Haq
97. Prof. Hakim Shaikh Mhod. Arshad
98. Dr. M A Lari
99. Hakim Abdullah Khan
100. Hakim Syed Imamuddin Ahmed
101. Dr. Abu Bakar Khan
102. Dr. Madan Sarup Gupta
103. Hakim AJ Khan
104. Hakim (Mrs.) Alia Aman
105. Dr. Ram Ditta Sharma
106. Prof. Hakim S Khaleefathullah
107. Hakim Saifuddin Ahmed

OFFICE BEARERS

The following are the office bearers of Central Council of Indian Medicine:-

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Vaidya Shri Ram Sharma | President |
| 2. Vaidya S K S Chhangani | Vice-President(Ayurved) |
| 3. Dr. V Arunachalam | Vice-President(Siddha) |
| 4. Prof. Hakim AM Khan | Vice-President(Unani) |
| 5. Vaidya Devendra Kumar Triguna | Member, Executive Committee |
| 6. Dr. Pramod Kumar Jain | -do- |
| 7. Dr. Sivanandam | -do- |
| 8. Vaidya Rajunandan Sharma | -do- |
| 9. Dr. MA Kumar | -do- |
| 10. Dr. Madan Sarup Gupta | -do- |
| 11. Prof. Hakim Shaikh Mohd. Arshad | -do- |

As per Section 9(1) of the Indian Medicine Central Council Act, 1970 the Central Council has the following main three Committees, namely:-

1. Ayurved Committee
2. Siddha Committee
3. Unani Committee

The above Committees consists of members elected under clause (a), (b) and (c) of Subsection (1) of Section 3 of the IMCC Act, 1970 respectively.

The Vice-President for each of the Ayurved, Siddha and Unani Tibb Systems of Medicine are respectively the Chairman of the Committees referred to above.

Subject to such general or specific directions as the Central Council may give from time to time, each Committee is competent to deal with any matter relating to Ayurveda, Siddha and Unani Tibb Systems of Medicine as the case may be within the competence of the Central Council.

EXECUTIVE COMMITTEE

The Executive Committee has been constituted in accordance with Clause 5 of the Central Council of Indian Medicine (General) Regulations, 1976 to discharge the functions of the Central Council of Indian Medicine within the framework of the Act and the rules and regulations made thereunder in accordance with the general policy and principles laid down by the Central Council. Members of all three systems of Indian Medicine i.e. Ayurveda, Siddha and Unani Tibb represent the Committee.

The Central Council has also constituted the following committees under Section 10 of the IMCC Act, 1970 to carry out various functions:-

REGULATION COMMITTEE

The Regulation Committee has been constituted by the Central Council to draw the various regulations of the Central Council as required from time to time and to consider various matters relating thereto under the IMCC Act, 1970.

The following are the members of the Regulation Committee:-

- | | |
|--------------------------------|---------------|
| 1. Vaidya I Sanjeeva Rao | Chairman |
| 2. Dr. Ved Prakash Tyagi | Vice-Chairman |
| 3. Dr. Ramesh Chandra Bhuptani | Member |
| 4. Dr. P Narayanan | " |
| 5. Dr. Rajesh Shukla | " |
| 6. Dr. Alakh Narayan Singh | " |
| 7. Dr. Gyan Kumar Ahuja | " |
| 8. Dr. A S Upadhyaya | " |
| 9. Dr. S K Bhunia | " |
| 10. Dr. R K Yadav | " |
| 11. Dr. K C Padhi | " |
| 12. Vaidya Abdul Wahid | " |
| 13. Vaidya B Vaidyanathan | " |
| 14. Dr. Maheshwar Pandey | " |
| 15. Dr. S Gopalakrishnan | " |
| 16. Hakim Syed Imamuddin Ahmad | " |
| 17. Hakim S Shafiullah Khan | " |

- | | |
|--------------------------|---|
| 18. Dr. Bansilal Pandit | " |
| 19. Dr. Gajendra Bharali | " |
| 20. Dr. S S Rawat | " |
| 21. Dr. Mukesh Sharma | " |

President, Vice-Presidents (Ayurved, Siddha and Unani) are the ex-officio members of Regulation Committee.

REGISTRATION COMMITTEE

The Central Council constituted Registration Committee to look into the matters relating to registration and matters related thereto: The preparation of Central Register of Indian Medicine and to regulate practice in ISM is also under the purview of this Committee.

The following are the members of the Registration Committee:-

- | | |
|----------------------------------|---------------|
| 1. Dr. Jayaprakash Narayan | Chairman |
| 2. Dr. A K Patel | Vice-Chairman |
| 3. Dr. Dev Narain Sharma | Member |
| 4. Dr. P K Vashisth | " |
| 5. Dr. Satish Dutt Garg | " |
| 6. Dr. D Ramanathan | " |
| 7. Dr. R Bharathrajan | " |
| 8. Dr. D Asthyaraj | " |
| 9. Vaidya Rohidas Shambhu Patil | " |
| 10. Dr. Gyan Kumar Ahuja | " |
| 11. Dr. N V Salgarkar, | " |
| 12. Dr. M.Vaman Reddy | " |
| 13. Dr. Patanjali Dwivedi | " |
| 14. Dr. Vachaspati Trivedi | " |
| 15. Dr. Mahendra Kumar Sharma | " |
| 16. Vaidya MN Tambe | " |
| 17. Dr. Vinod Pundir | " |
| 18. Vaidya Sanjay Janardan Tilak | " |
| 19. Vaidya G P Upadhyaya | " |
| 20. Dr. R D Sharma | " |
| 22. Hakim Akhtar Masood Siddiqui | " |
| 23. Hakim Saud Ali Khan | " |
| 24. Dr. V Stanley Jones | " |

President, Vice-Presidents (Ayurved, Siddha and Unani) are the ex-officio members of Registration Committee

FINANCE COMMITTEE

The Central Council constituted the Finance Committee to look into the financial matters of the Central Council.

The following are the members of Finance Committee:-

- | | |
|----------------------------|---------------|
| 1. Vaidya G L Chanana | Chairman |
| 2. Hakim Abu Bakar Khan | Vice-Chairman |
| 3. Dr. MA Kumar | Member |
| 4. Vaidya Mukesh Walia | " |
| 5. Dr. K R Ramachandran | " |
| 6. Dr. D Ramanathan | " |
| 7. Dr. S S Rawat | " |
| 8. Dr. D N Singh | " |
| 9. Dr. Gyan Kumar Ahuja | " |
| 10. Dr. P K Warriar | " |
| 11. Vaidya Balendu Prakash | " |
| 12. Dr. K V Shah | " |
| 13. Vaidya K K Pandey | " |

President, Vice-President (Ayurved), Vice-President (Siddha), Vice-President (Unani) are the ex-officio members of Finance Committee.

EDUCATION COMMITTEE (AYURVED, SIDDDHA & UNANI)

The Education Committees constituted to deal with all matters pertaining to Ayurved, Siddha and Unani education respectively as well as to consider the proposal for recognition of degrees awarded by various Universities. The following are the members of the Education Committee of Ayurved, Siddha and Unani: -

AYURVEDA

- | | |
|------------------------------------|-------------------|
| 1. Vaidya SK Mishra | Chairman |
| 2. Vaidya SKS Chhangani V.P. (Ay.) | Ex-officio member |
| 3. Dr. C H S Shastry | Member |
| 4. Vaidya S K Sharma | " |
| 5. Vaidya Shah Kishan Vithaldas | " |
| 6. Vaidya Jagjeet Singh | " |
| 7. Vaidya Hari Narayan Swamy | " |
| 8. Dr. L N Maity | " |
| 9. Vaidya Mukesh Sharma | " |
| 10. Prof. Kulwant Singh | " |

11. Dr. Rudramani Sharma	Member
12. Vaidya Dinanath R Upadhyaya	"
13. Dr. S V Savadi	"
14. Dr. O P Vashisth	"
15. Vaidya S P Bhattacharya	"
16. Dr. R C Bhattacharya	"
17. Dr. K Rajgopalan	"
18. Vaidya Gauri Lal Chanana	"
19. Dr. D Ramanathan	"
20. Prof. Jyotir Mitra Acharya	"
21. Vaidya A S Upadhyaya	"
22. Dr. R S Parihar	"
23. Dr. R V Sohgaura	"
24. Dr. Bhrigupati Pandey	"
25. Dr. V P Tyagi	"
26. Dr. Kishor Mohan Sharma	"
27. Prof. Vedvrat Sharma	"
28. Dr. Indra Mohan Jha	"
29. Dr. Patanjali Dwivedi	"
30. Dr. Vachaspati Trivedi	"
31. Vaidya S N Parchure	"

SIDDHA

1. Dr. V Arunachalam	Chairman
2. Dr. S Gopala Krishnan	Member
3. Dr. MA Kumar	"
4. Dr. V Stanley Jones	"

UNANI

1. Prof. Hakim Jamil Ahmed	Chairman
2. Prof. Hakim Abdul Mobin Khan, Vice-President (Unani)	Ex-officio Member
3. Prof. Hakim Shahabul Haq	Vice-Chairman
4. Prof. Hakim S Shaji Hyder	Member
5. Prof. Hakim S Imamuddin Ahmed	"
6. Hakim A J Khan	"
7. Hakim Saud Ali Khan	"
8. Hakim Ved Prakash Sharma	"
9. Prof. Hakim Shaikh Mohd. Arshad	"
10. Prof. Hakim Abu Bakar Khan	"
11. Hakim (Mrs.) Alia Aman	"
12. Dr. S S Rawat	"

13. Hakim Bansilal Pandit	Member
14. Dr. Madan Sarup Gupta	"
15. Hakim K Shafiulla Khan	"
16. Hakim Shamim Ahmed	"
17. Hakim Hafiz S Habibur Rahman	"

During the year 1997-98 the following meetings were held:-

1. Central Council of Indian Medicine	One
2. Ayurved Committee	One
3. Siddha Committee	One
4. Unani Committee	One
5. Executive Committee	Four
6. Registration Committee	One
7. Regulation Committee	Two
8. Finance Committee	One
9. Education Committee (Ayurved)	Two
10. Education Committee (Siddha)	One
11. Education Committee (Unani)	One
12. Meeting of Sub-committee of Education Committee (Ayurved)	Two
13. Meeting of Sub-committee to Draft Regulation for Centre of Excellence held on 19.6.97.	One
14. Meeting of Sub-committee regarding Ph.D. Regulation held on 14.7.97.	One
15. Enquiry Committee meeting held on 21.7.97.	One
16. DPC/Selection Committee meeting held on 31.7.97.	One
17. Meeting of inclusion of relevant portion of Vedas in the Syllabus of Ayurveda held on 9.9.97.	One
18. Meeting of Visitation Proforma Committee held on 11.9.97.	One
19. Sub-committee meeting to prepare the Syllabus on Nursing Course and Pharmacy Course in Indian Medicine held on 6.11.97.	One
20. Meeting of Sub-Committee constituted by Regulation Committee to consider the amendment in IMCC Act, 1970.	One
21. Workshop on Agadtantra & Vyavharayurved and Swasthvirrit held on 12.8.97.	
22. Workshop of Unani held on 26 & 27.8.97 at Hyderabad for finalising the Curriculum and Syllabus of Post-graduate Course of Unani Tibb.	
23. Workshop on Rasashastra & Dravyaguna held on 27 to 29.11.97.	

24. Workshop on Rognidan & Kayachikitsa held on 20-22.12.97.
25. Workshop on Tashreehul Badan and Munafe-ul-Aza held on 26th & 27th December 1997 at New Delhi.
26. Workshop to review the Syllabus of Shalya, Shalakyas, Prasutitantra & Kaumarbhritya of Ayurvedacharya Course held on 25th & 26th February 1998.
27. Workshop for Hifzane Sehat-wa-Tahaffuzi Samaji subject of Kamil-e-tib-o-Jarahat course in Unani Tibb held on 27th & 28th February 1998 at Lucknow.
28. Workshop on Ilmul Advia & Ilmul Qabala Niswan wa Atfal of Kamil-e-tib-o-Jarahat Course held on 30th & 31th March 1998.
29. Seminar on Standards of Professional Conduct, Etiquette and Code of Ethics held on 21 & 22.3.98 at New Delhi.
30. Meeting of Sub-Committee regarding preparation of video film on education aspects of ISM on 28.1.98.
31. Meeting of Sub-committee regarding video film held on 26.2.98 at Varanasi.

The Central Council noted that the College of Indian Systems of Medicine (Ayurved/Siddha/Unani) have not been included in the list of University Grants Commission resulting which the Ayurved and other colleges of Indian Medicine could not get the financial aid from UGC for equipment and Seminar etc. equivalent to other system colleges. It was, therefore, decided that the UGC might be requested to include the colleges of ISM in its list to give them a way to get the grant.

The Central Council decided to issue a public notice as follows: -

"Central Council of Indian Medicine notify that the practitioners of Indian Medicine possessing qualifications included in Schedules of Indian Medicine Central Council Act, 1970 and registered with statutory Boards/Councils of different States and UTs enjoy all rights of practice mentioned in the respective acts and notifications issued by the State Government/Central Government from time to time.

Notifications issued by any other Council cannot in any way affect the right of practitioners of Indian Systems of Medicine. Such State Acts and Government orders make these practitioners entitled to practice modern medicine also in addition to Indian Medicine. This privilege conferred on them is protected under Clause (b) of Sub-section 3 of Section 17 of the IMCC Act, 1970".

The Central Council decided that all State Governments may be requested that the elected members of the Central Council of Indian Medicine of the respective State may be treated as Ex-officio members of the State Boards of

Ayurved/Unani so that consideration in policy matters and uniformity in registration work may be maintained at State and National level.

AYURVED

The salient features of the recommendation are as under:-

Ayurved committee noted that Education Committee (Ayurved) while discussing the issue of establishment of Post-graduate Institute/Department of Ayurved without the existence of Under-graduate course decided that the Post-graduate course might be conducted where Under-graduate course does not exist but necessary infrastructure for Post-graduate course should be there. For consideration of quantum of infrastructure to be available in these institutes, a Sub-committee consisting of the following members was constituted to decide the infrastructure of Post-graduate course and staffing pattern for Post-graduate institute: -

1. Dr. C H S Shastri
2. Dr. Kulwant Singh
3. Dr. Ghanshyam Mishra
4. Vaidya Ved Prakash Tyagi
5. Dr. Jyotir Mitra Acharya

The recommendations of above sub-committee was considered and approved by Ayurved Committee as well as by Central Council of Indian Medicine.

The Ayurved Committee agreed to the proposal that 'Post-mortum facility' should be available to all the ISM students of all the States. It was also decided that the Central Council of Indian Medicine under their power might notify this proposal.

It was noted that many institutions conducting Post-graduate training are not paying Postgraduate stipend resulting which the higher education of Ayurved is suffering and research work accepted by these students is not being completed properly.

The Central Council decided to write the State Government/Central Government to pay the stipend to the I.S.M. graduates at the rates prevailing for the counterparts i.e. modern medicine

The Ayurved Committee approved the reviewed draft of Indian Medicine Central Council (Post-graduate Education) (Amendment) Regulation, 1994 in the Workshop of Ayurved.

Central Council approved draft Regulation pertaining to Ph.D. in Ayurved.

Central Council approved the recommendations of Ayurved Committee to create the post of Anaesthetist as Lecturer (Sangyahan) in one of these departments with the qualification as MD (Ayurved Sangyahan).

Central Council agreed to the decision of Ayurved Committee that Government of India should establish separate Pharmacy Council and Nursing Council for Indian Systems of Medicine. Till such Councils constituted this work can be given to Central Council of Indian Medicine.

The Ayurved Committee noted that many institutions where scholars are admitted for MD (Ayurved) having required facilities of Laboratory, hospitals etc. as per norms of Central Council of Indian Medicine, the norms for guides for MD (Ayurved) is also not properly followed.

To restrict the number of students for admission in Post-graduate Course, it was decided that two post-graduate student for Professor, two for Reader and one for Lecturer should be strictly followed and CCIM ensure availability of minimum standard in the institution.

The Committee noted that the Syllabus of Ayurvedacharya Course has been reviewed in different Workshop as per following detail: -

1. Workshop on Agadtantra & Vyavharayurved and Swasthavritta held on 12.8.97 at Pune.
2. Workshop on Rasashastra & Dravyaguna held on 27th to 29th November 1997 at Sikar.
3. Workshop on Rogvigyan & Vikriti Vigyan and Kayachikitsa held on 20-21.12.97 at Lucknow.
4. Workshop to review the syllabus of Shalya, Shalakya, Prasutitantra and Kaumarbhritya of Ayurvedacharya course held on 25-26.2.98 at Varanasi.

The Central Council after assessing the minimum standards available at the following institutions for starting Ayurvedacharya course in conformity with the Minimum Standards and Requirements laid down by the Central Council granted permission for conducting Ayurvedacharya Course: -

PERMISSION TO NEW COLLEGES

1. Shri Shivayogeshwar Rural Ayurved Medical College, Inchal, Saundathi, Tq. Belgaum (Karnataka).
2. Taluka Shikshan Prasarak Sahakara Mandal Ayurved Medical College, Sindhagi, Distt. Bijapur (Karnataka).

3. Shri Basaveshwar Vidya Vardhak Sangha, Bagalkot, Distt. Bijapur (Karnataka).
4. Shri Bhartesh Education Society Gramin Ayurved College, Teral Distt. Bijapur.
5. Shri SBS Ayurved Medical College, Mundargi, Distt. Gadag (Karnataka).
6. Veerpulikeshi Vidyavardhak Samast Rural Ayurved Medical College, Badami, Bijapur (Karnataka).
7. Rural Ayurved Medical College, Ashok Nagar, LIG III, Belgaum (Karnataka).
8. Bhagwan Mahavir Jain Ayurved Medical College & Hospital, Gajendragarh (Karnataka).
9. Himalaya Ayurved Medical College, Bareilly (UP).

THE FOLLOWING AYURVED COLLEGES WERE VISITED DURING THE YEAR 1997-98

S.No.	Name of the College	Date of visitation	UG/PG	Permitted/Not permitted
1.	Institute of Post-graduate Training & Research, Gujarat, Jamnagar	21/22.4.97	PG	Permitted
2.	Govt. Ayurved College, Patna	29.5.97	UG/PG	Permitted
3.	Amrutha Ayurved Medical College, Doddapet, Chitradurga	22.5.97	UG	Not Permitted
4.	Bapuji Ayurved Medical College, Chitradurga	23.5.97	UG	Not permitted
5.	Gomantak Ayurved Mahavidyalaya & Research Centre, Shiroda, Goa.	3.3.97	UG	Permitted
6.	Govt. Ayurved Medical College, Mysore	28.10.96	UG/PG	Permitted
7.	Govt. Ayurved Medical College, Bangalore	29.10.96	UG/PG	Permitted
8.	Ganga Education Society Ay. Medical College, Kolhapur	19.6.97	UG	Permitted
9.	Hanuman Shikshan Prasarak Mandal Ayurved Mahavidyalaya, Peth Vadegaon, Kolhapur	20.6.97	UG	Permitted
10.	Yashwant Shikshan Prasarak Mandal Ayurved Mahavidyalaya, Kodoli, Kolhapur	21.6.97	UG	Permitted
11.	Shri Sain Chartitable Trust for Higher Education Research, Jammu	9.6.97	UG	Not Permitted
12.	Gurunanak Medical Institute & Charitable Hospital, Gandhinagar, Jammu.	10.6.97	UG	Not Permitted

13. Bapuji Ayurved Medical College, Shimoga	7.6.97	UG	Permitted
14. TAME Society Ayurved College, Koddakatte Bhadrawati, Shimoga	6.6.97	UG	Permitted
15. Rajiv Gandhi Govt. Ay. College, Paprola	16.6.97	UG/PG	Permitted
16. Shri Dhanwantri Ay. College & Pt. Kedarnath Memorial Ayurved Hospital, Chandigarh	18.6.97	UG	Permitted
17. Krishnarajendra Indian Institute & Research Ayurved College, Bangalore	23.6.97	UG	Permitted
18. SDM Ayurved College, Hasan	24.6.97	UG	Permitted
19. Deshbhagat Ay. Medical College, Mandi, Gobindgarh, Punjab.	1.7.97	UG	Permitted
20. Mai Bhago Ayurved Medical College Muktsar	2.7.97	UG	Permitted
21. Rural Education Trust Ayurved Medical College, Koppal	3.6.97	UG	Permitted
22. Ayurved Mahavidyalaya, Pusad	23.6.97	UG	Permitted
23. Gramin Ayurved Mahavidyalaya, Patur	24.6.97	UG	Permitted
24. Paramhans Ramkrishan Monibaba Ayurved Mahavidyalaya, Chikli	25.6.97	UG	Not permitted
25. Alvas Ayurved Medical College, Moodbidri	26.6.97	UG	Permitted
26. KVG Ayurved Medical College, Sulliya	27.6.97	UG	Permitted
27. SSMD Ayurved College, Moga	5.7.97	UG	Permitted
28. Nalasopara Ayurved College Nalasopara	1.7.97	UG	Permitted
29. Sindagi Shanta basaveshwar Ayurved Medical College, Haveri	6.6.97	UG	Permitted
30. TAME Society Ay. Medical College, Hospet	7.6.97	UG	Permitted
31. Dr. BNM Ayurved Medical College, Bijapur	13.6.97	UG	Permitted
32. SYMVV Society Sri Vijay Mahantesh Ay. Medical College, Ilkal.	14.6.97	UG	Permitted
33. Dada Sahib Sarup Singh Naik Ayurved Mahavidyalaya, Dhule	11.6.97	UG	Permitted
34. Dhule Charitable Society Ay. Mahavidyalaya, Dhule	10.6.97	UG	Permitted

35. Govt. Ayurved College, Balangir	13.6.97 & 4.7.97	UG	Not Permitted
36. J S Ay. Mahavidyalaya, Nadiad	4.7.97	UG	Permitted
37. SDM College of Ayurved Mahavidyalaya, Udupi	20.6.97	UG	Permitted
38. Sharna Basaveshwar Ayurved Medical College, Gulbarga	16.6.97	UG	Not permitted
39. Hingu Lambika Education Society Ayurved Medical College, Gulbarga	17.6.97	UG	Permitted
40. College of Ayurved & Research Centre, Akurdi, Pune	24.6.97	UG	Permitted
41. Ayurved Mahavidyalaya, Sion Mumbai	30.6.97	UG	Permitted
42. Ayurved Mahavidyalaya, Heggeri, Hubli	2.6.97	UG/PG	Permitted
43. Govt. Ayurved College, Patiala	4.7.97	UG/PG	Permitted
44. Gaur Brahman Ay. College, Rohtak	9.6.97	UG	Permitted
45. ALN Rao Ayurved Mahavidyalaya, Koppa	19.6.97	UG	Permitted
46. CSMSS Ay. Mahavidyalaya Aurangabad	24.6.97	UG	Permitted
47. Sangamsevbhai Trust Ayurved Mahavidyalaya, Sangamner	2.7.97	UG	Permitted
48. Siddhakala Ay. Mahavidyalaya Sangamner	2.7.97	UG	Permitted
49. Ayurved College, Hadapsar, Pune	23.6.97	PG	Permitted
50. Govt. Ayurved College, Nanded	20.6.97	PG	Permitted
51. KV Rao Ayurved College, Boradi	10.12.97	UG	Permitted
52. Govt. Ayurved College, Jagatganj, Varanasi	27.6.97	UG	Permitted
53. Banaras Hindu University, Varanasi	1.7.97	UG	Permitted
54. Seth Chandanmal Mutha Ay. Mahavidyalaya, Satara	2.7.97	PG	Permitted
55. Seth Chandanmal Mutha Ay. Mahavidyalaya, Satara	28.6.97	UG/PG	Permitted
56. Bharti Vidyapeeth College of Ayurved, Erandwane, Pune	27.6.97	UG	Permitted
57. Ayurved Mahavidyalaya, Rahuri Ahmednagar	23.6.97	UG	Permitted
58. Govt. Ay. College, Baroda	5.7.97	UG	Permitted
59. Aryakanya Shuddha Ayurved Mahavidyalaya, Baroda	5.7.97	UG	Permitted
60. Shri Bhanwar Lal Dugar Ay. Mahavidyalaya, Sardarshahar	4.7.97	UG	Permitted

60. Parsurampuriya Ay. College, Sikar	3.7.97	UG	Permitted
61. Rikhabchand Sukhani Ay. Medical College, Raichur	25.8.97	UG	Not permitted
62. Kalmathada Pujya Shri Virpaksha Ay. Medical College, Manvi, Raichur	26.8.97	UG	Not permitted
63. KGN Ay. & Unani Medical College, Dehradun	16.8.97	UG	Not Permitted
64. Himalaya Ay. Medical College, Bareilly	18.8.97	UG	Permitted
65. Shri Guruvalmiki Maharshi Ay. Medical College, Jaglur	2.8.97	UG	Not Permitted
66. Shri Bhartesh Education Gramin Ay. Medical College, Terdal	21.8.97	UG	Permitted
67. Gurunanak Ay. Medical College, & Hospital, Muktsar	2.9.97	UG	Permitted
68. Ayurved & Unani Tibbia College, Karol Bagh, New Delhi	19.8.97	UG & PG	Permitted Not permitted
69. Vaidyaratnam AY. College, Ollur	17.6.97	UG	Permitted
70. Govt. Ay. College, Tripunithura	16.6.97	UG	Permitted
71. Shri JG Ayurved Medical College, Ghatprabha	16.6.97	UG	Permitted
72. NK Jabashetty Ay. Medical College & Hospital, Bidar	15.7.97	UG	Permitted
73. Mayurbhanj Ay. Mahavidyalaya, Baripada	9.7.97	UG	Not permitted
74. Srinarusinghnath Ay. College & Research Institute, Sambalpur	8.7.97	UG	Permitted
75. Kvj. Anantha Tripathy Sharma Ayurved College, Ganjam	7.7.97	UG	Not permitted
76. Shri Balahanuman Ayurved Mahavidyalaya, Mehsana	12.6.97	UG	Not permitted
77. Ayurved College, Coimbatore	30.7.97	UG	Permitted
78. Govt. Ayurved College, Thiruvananthapuram	28.7.97	UG/PG	Permitted
79. V.P.S. Varier Ayurved College, Kottakal, Edarikode	29.7.97	UG	Permitted
80. AL Govt. Ay. College, Warangal	26.7.97	UG	Permitted
81. NR Shastry Government Ayurved College, Vijaywada	28.7.97	UG	Permitted
82. Govt. Dhanwantry Ay. College Buxar	13.9.97	UG	Not Permitted
83. Lala Lajpat Rai Memorial Ay. Medical College, Moga	27.9.97	UG	Permitted
84. SGV Ayurved Medical College Bailhongal	24.9.97	UG	Permitted

85. Swami Raghuvendracharya Tridandi Ay. Mahavidyalaya, Gaya	10.9.97	UG	Permitted
86. Ayurved Medical College, Gaya	11.9.97	UG	Permitted
87. Mahaganapati Ay. Medical College, Dharwad	24.9.97	UG	Permitted
88. Ravindranath Mukherjee Ay. Medical College, Motihari	24.9.97	UG	Permitted
89. Dayanand Ay. College, Siwan	2.5.97	UG	Permitted
90. Govt. Ashtang Ayurved College, Indore	19.9.97	UG	Permitted
91. Govt. Ayurved College, Ujjain	20.9.97	UG	Permitted
92. Indira Gandhi Memorial Ayurved College, Bhubaneshwar	17.9.97	UG	Not permitted
93. VSS Ayurved Medical College, Mysore	21.10.97	UG	Not permitted
94. Shri SBS Ayurved Medical College, Mundargi	26.10.97	UG	Permitted
95. Rajiv Gandhi Education Ay. College, Ron	25.10.97	UG	Not permitted
96. BVV Sanghs Ayurved Medical College, Bagalkot	28.10.97	UG	Permitted
97. Taluka Shikshan Prasarak Mandal Sindgi., Bijapur	27.10.97	UG	Permitted
98. Shri Veerpulikeshi Vidyavardhak Samast Rural Ayurved Medical College, Badami	27.10.97	UG	Permitted
99. Shri Kalidas Ayurved Medical College, Badami	27.10.97	UG	Not Permitted
100. SSBE Society Shrishiva Yogeshwar Rural Ayurved Medical College, Inchal	26.10.97	UG	Permitted
101. Kannada Balag Soccity Ayurved Medical College, Belgaum	25.10.97	UG	Permitted
102. Bhagvan Mahaveer Jain Ayurved Medical College, Gajendragarh	27.10.97	UG	Permitted
103. Pt. Khushilal Sharma Ayurved Medical College, Bhopal	24.10.97	UG	Permitted
104. Shri Laxminarayan Ayurved College, Amritsar	23.10.97	UG	Permitted
105. Dayanand Ayurved College, Jalandhar	24.10.97	UG	Permitted
106. Govt. Ayurved College, Osmanabad	11.12.97	UG/PG	Permitted
107. Himalaya Ay. Med. College, Bareilly	18.8.97	UG	Permitted
108. Govt. Ay. College, Hyderabad	26.9.97	UG/PG	Permitted

UNANI

The salient features of the recommendations made are as under:-

Unani Committee decided to start Post-graduation as a special case at National Institute of Unani Medicine, Bangalore to be made a Centre of Excellence. It was also decided to write a letter to the Ministry of Health & Family Welfare, Department of ISM&H for necessary action and consideration.

The Central Council agreed to the above and decided that the norms laid down by Central Council in its draft Regulation i.e. Centre of Excellence for Ayurved be followed.

Decided that if State Government of Punjab or any other body provides providing Text Books in Hindi or in regional language for the purpose of teaching of Kamil-e-tib-o-Jarahat (Bachelor of Unani Medicine & Surgery) course, the Council will permit to start BUMS college at Punjab in the Hindi medium.

The Central Council decided that the Kamil-e-tib-o-Jarahat (Bachelor of Unani Medicine & Surgery) degree of Nagpur University, Nagpur be included in the Second Schedule to the Indian Medicine Central Council Act, 1970.

PERMISSION TO NEW UNANI COLLEGES

After assessing the minimum standards and requirements for conducting Kamil-e-tib-o-Jarahat course in Unani inconformity with the minimum standards and requirements laid down by the Central Council, the Central Council granted permission for starting the Kamile-tib-o-Jarahat Course at the following institutions/colleges:-

1. Al-Farooque Unani Tibbia College, Indore
2. Maharshi Charak Unani Medical College, Deoband
3. KGN Unani Medical College, Dehradun
4. Zuberiya Tibbia College, Jodhpur.

The Central Council noted that Ayurved and Unani Medical Colleges are affiliated to Calcutta University but it is regretted that Faculty of Ayurved/Unani Medicine does not exist till date and these colleges are being run under Faculty of Medicine for smooth functioning of Ayurved/Unani Medical Colleges it is essential to establish Faculty of Ayurveda and Unani Medical colleges in Calcutta University. It was, therefore, decided to request the authorities concerned to Calcutta University to create Faculty of Ayurved and Unani Medicine by making necessary amendments for Statue Ordinance of Calcutta University.

The following Unani Colleges were visited during the year.-

S.No.	Name of the College	Date of visitation	UG/PG	Permitted/Not permitted
1.	Deoband Unani Medical College, Nayabans Saharanpur	7.4.97	UG	Permitted
2.	Ayurved & Unani Tibbia College, Karol Bagh New Delhi.	10.4.97	UG	Permitted
3.	Govt. Unani Medical College, Bangalore	12.4.97	UG	Permitted
4.	Alfarooque Unani Medical College, Bangalore	31.5.97	UG	Permitted
5.	Jamia Hamdard Tibbi College, New Delhi	29.4.97	UG	Permitted
6.	Unani Medical College, Pune	28.4.97	UG	Permitted
7.	State Tak-mil-ul-Tibbi Unani College, Allahabad	29.5.97	UG	Permitted
8.	Saifia Hamidia Unani Tibbia College Burhanpur	2.6.97	UG	Permitted
9.	Jamia Tibbia Deoband College, Saharnpur	2-3.6.97	UG	Permitted
10.	Tibbia College & Hospital, Srinagar	19-20.6.97	UG	Permitted
11.	Kashmir Tibbia College & Hospital, Srinagar	21-22.6.97	UG	Permitted
12.	Govt. Unani Medical College, Chennai	2.6.97	UG	Permitted
13.	Maharshi Charak Ayurved/Unani Medical College, Deoband	30.6.97	UG	Permitted
14.	Zuberiya Tibbia College, Jodhpur	12.6.97	UG	Permitted
15.	Ibn-e-Sina-Tibbia College, Azamgarh	9.6.97	UG	Permitted
16.	Rajputana Tibbi College, Jaipur	13.6.97	UG	Not permitted
17.	State Takmil Utib College, Lucknow	30.5.97	UG	Permitted
18.	A&U Tibbia College, Karol Bagh, New Delhi	8.9.97	PG	Permitted
19.	KGN Unani Medical College, Dehradun	12-13.8.97	UG	Permitted
20.	BLK Unani Medical College, Bijapur	11.8.97	UG	Not permitted
21.	Govt. Nizamia Tibbia College, Hyderabad	4.5.8.97	PG	Permitted
22.	Calcutta Unani Medical College & Hospital, Calcutta	7-8.8.97	UG	Permitted

UNANI

The salient features of the recommendations made are as under:-

Unani Committee decided to start Post-graduation as a special case at National Institute of Unani Medicine, Bangalore to be made a Centre of Excellence. It was also decided to write a letter to the Ministry of Health & Family Welfare, Department of ISM&H for necessary action and consideration.

The Central Council agreed to the above and decided that the norms laid down by Central Council in its draft Regulation i.e. Centre of Excellence for Ayurved be followed.

Decided that if State Government of Punjab or any other body provides providing Text Books in Hindi or in regional language for the purpose of teaching of Kamil-e-tib-o-Jarahat (Bachelor of Unani Medicine & Surgery) course, the Council will permit to start BUMS college at Punjab in the Hindi medium.

The Central Council decided that the Kamil-e-tib-o-Jarahat (Bachelor of Unani Medicine & Surgery) degree of Nagpur University, Nagpur be included in the Second Schedule to the Indian Medicine Central Council Act, 1970.

PERMISSION TO NEW UNANI COLLEGES

After assessing the minimum standards and requirements for conducting Kamil-e-tib-o-Jarahat course in Unani inconformity with the minimum standards and requirements laid down by the Central Council, the Central Council granted permission for starting the Kamile-tib-o-Jarahat Course at the following institutions/colleges:-

1. Al-Farooque Unani Tibbia College, Indore
2. Maharshi Charak Unani Medical College, Deoband
3. KGN Unani Medical College, Dehradun
4. Zuberiya Tibbia College, Jodhpur.

The Central Council noted that Ayurved and Unani Medical Colleges are affiliated to Calcutta University but it is regretted that Faculty of Ayurved/Unani Medicine does not exist till date and these colleges are being run under Faculty of Medicine for smooth functioning of Ayurved/Unani Medical Colleges it is essential to establish Faculty of Ayurveda and Unani Medical colleges in Calcutta University. It was, therefore, decided to request the authorities concerned to Calcutta University to create Faculty of Ayurved and Unani Medicine by making necessary amendments for Statue Ordinance of Calcutta University.

The following Unani Colleges were visited during the year:-

S.No.	Name of the College	Date of visitation	UG/PG	Permitted/Not permitted
1.	Deoband Unani Medical College, Nayabans Saharanpur	7.4.97	UG	Permitted
2.	Ayurved & Unani Tibbia College, Karol Bagh New Delhi.	10.4.97	UG	Permitted
3.	Govt. Unani Medical College, Bangalore	12.4.97	UG	Permitted
4.	Alfarooque Unani Medical College, Bangalore	31.5.97	UG	Permitted
5.	Jamia Hamdard Tibbi College, New Delhi	29.4.97	UG	Permitted
6.	Unani Medical College, Pune	28.4.97	UG	Permitted
7.	State Tak-mil-ul-Tibbi Unani College, Allahabad	29.5.97	UG	Permitted
8.	Saifia Hamidia Unani Tibbia College Burhanpur	2.6.97	UG	Permitted
9.	Jamia Tibbia Deoband College, Saharnpur	2-3.6.97	UG	Permitted
10.	Tibbia College & Hospital, Srinagar	19-20.6.97	UG	Permitted
11.	Kashmir Tibbia College & Hospital, Srinagar	21-22.6.97	UG	Permitted
12.	Govt. Unani Medical College, Chennai	2.6.97	UG	Permitted
13.	Maharshi Charak Ayurved/Unani Medical College, Deoband	30.6.97	UG	Permitted
14.	Zuberiya Tibbia College, Jodhpur	12.6.97	UG	Permitted
15.	Ibn-e-Sina-Tibbia College, Azamgarh	9.6.97	UG	Permitted
16.	Rajputana Tibbi College, Jaipur	13.6.97	UG	Not permitted
17.	State Takmil Utib College, Lucknow	30.5.97	UG	Permitted
18.	A&U Tibbia College, Karol Bagh, New Delhi	8.9.97	PG	Permitted
19.	KGN Unani Medical College, Dehradun	12-13.8.97	UG	Permitted
20.	BLK Unani Medical College, Bijapur	11.8.97	UG	Not permitted
21.	Govt. Nizamia Tibbia College, Hyderabad	4.5.8.97	PG	Permitted
22.	Calcutta Unani Medical College & Hospital, Calcutta	7-8.8.97	UG	Permitted

23. Rajasthan Unani Medical College, Jaipur	14.6.97	UG	Permitted
24 Faculty of Medicine, Jamia Hamdard, New Delhi	10.9.97	PG	Permitted
25. Unani Medical College, Nanded	1.6.97	UG	Not Permitted
26. Ahmed Gharib Unani College, Akkalkuan	30.8.97	UG	Permitted
27. Govt. Unani Tibbi College, Patna	14-15.7.97	UG	Permitted
28. Ajmal Khan Tibbi College, AMU, Aligarh	15,9.97	UG/PG	Permitted
29. ZH Unani Medical College & Hospital Siwan	16.7.97	UG	Permitted
30. Allamma Iqbal Unani Medical College, Muzaffarnagar	19.8.97	UG	Permitted
31. Mohammedia Tibbia College, Malegaon, Nasik	22-23.9.97	UG	Permitted

SIDDHA

It was decided that Workshops to review the Curriculum and Syllabus of Undergraduate course of Siddha be organised at Chennai and to review the Curriculum & Syllabus of Post-graduate course of Siddha Medicine at Palayamkottai.

It was noted that the post of Vice-President (Siddha) is vacant as the tenure of the former Vice-President (Siddha) Dr. V Subramaniam was over in the Dr. MGR University, Chennai long ago.

The Siddha Committee unanimously decided that the Vice-Chairman, Siddha Education Committee, Dr. V Arunachalam shall act as Vice-President (Siddha) in Central Council.

Decided that Siddha Committee will visit Government Siddha Medical College, Chennai on 24.4.98 and the Govt. Siddha Medical College, Palayamkottai on 6.5.98.

REGISTRATION

It was noted that the Central Register of Indian Medicine upto March, 1991 except for a few states had been initiated for preparation of Central Register for the period from April, 1991 to March, 1994. State Boards have been requested to furnish copy of their State Register upto March, 1998 so that Central Register may be prepared.

It was noted that the Registration Committee had constituted a Sub-commit-

tee for Assam, Uttar Pradesh and Jammu & Kashmir to have the discussion with the State Board of Indian Systems of Medicine, Director of State, Health Secretaries and if possible with the concerned Health Minister in matter of non supply of copies of the State Register for preparation of Central Registration of Indian Medicine and other registration issues relating to registration. It was noted that a Sub-committee constituted for Assam to hold the meeting/discussion with Registrar, Board of Ayurvedic Medicine, Assam and with the Commissioner and Health Secretary, Health & Family Welfare, Government of Assam, Guwahati on 5.5.97. After visit of the Committee the State Government of Assam has constituted the Assam State Council of Indian Medicine for registration in their State.

It was further noted that the sub-committee constituted for Uttar Pradesh to hold meetings/discussion with the Secretary, Medical Education, Government of Uttar Pradesh, Director, Bharatiya Chikitsa Padhiti Lucknow and Registrar, Bharatiya Chikitsa Parishad on 28/29.5.97.

Decided that after every five years Identity Cards be renewed and fresh Identity Cards be issued to the practitioners by the State Council by charging prescribed fee by the concerned State Boards/Council.

The Central Council decided that every State Board should grant registration only to those persons who possess recognised medical qualification included in the Schedules to the IMCC Act, 1970. It was also decided that a letter to this effect be sent to the Secretary to the State, Director of ISM and Registrars of the Registration Boards/Councils.

It was decided that there should be a Local Registration Committee member, CCIM members in each State Boards and he should be authorised to inspect the State Board as and when required and to see whether registration is made upto date.

It was decided that the practitioners in ISM residing in the State/Union Territories where there is no Board/Council of ISM should apply for certificate through State Board to this Council. They can obtain certificate of entry of their names in Central Register of Indian Medicine on payment of Rs 50/-. They need not apply for direct registration.

It was resolved to write to the Secretary, Government of Assam thanking the Government for constitution of Assam State Council of Indian Medicine. It was also resolved to write to Council for changing the nomenclature as the State Council of Indian Medicine, Assam.

It was also decided to request that since the State Council is newly formed all the three existing members of CCIM representing Assam State be incorporated to the newly formed Council which will enable for proper functioning.

BUDGETARY RESOURCES

The Council approved the Budget Estimates and Revised Estimates for the year 1997-98 and released/sanctioned by the government are as under:

	NON-PLAN Rs. in lakh	PLAN Rs. in lakh
1. Budget Estimates 1997-98 (Approved by the Council)	102.30	106.00
2. Budget Estimates 1997-98 (Sanctioned by the Ministry)	31.00	30.00
3. Revised Estimates 1997-98 (Approved by the Council)	71.64	30.00
4. Revised Estimates 1997-98 (Sanctioned by the Ministry)	42.00	27.00
5. Grant-in-aid released by Ministry	42.00	27.00

The Central Council is a small organisation. However, every care is taken to ensure that the reservations made by the Government of India for different categories are maintained. Out of 35 employees of the Central Council, the reservations made for different categories is under:-

1. Scheduled Caste	Four
2. Schedule Tribe	Three
3. Physically Handicapped	Two
4. Ex-serviceman	One

FUTURE PROGRAMME

1. To review the existing Curriculum and Syllabus for Graduate and Post-graduate courses of Ayurved, Unani and Siddha through organising Workshops in this context.
2. Steps to check mushroom growth of sub-standard colleges of Indian Medicine.
3. Steps to check unauthorised practice by unqualified/unregistered practitioners of Indian Medicine.

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF AUDIT, CENTRAL REVENUES New Delhi-110002

No.A.M.G.11/S.A.R./CCIM/98-99/425

Dated 23.2.99

Copy together with a copy of the certified Annual Accounts, the Audit Report thereon and the Audit Certificate is forwarded to Shri P.R. Sharma, Secretary, Central Council of Indian Medicine, 61-65, Institutional Area, Janakpuri, New Delhi-110058 for necessary action with reference to their letter No.....dated.....The date on which the certified Annual Accounts are considered by the Governing Body may please be intimated to this office alongwith supporting documents. Five copies of Hindi version of the certified Annual Accounts may also be supplied to this office at the earliest. Council is requested to indicate the date on which Audit Report is to be presented in Parliament.

Sd/-

Meenakshi Gupta
Director of Audit
(Inspection-II)

No. : O.A.11/S.A.R./CCIM/98-99/426

Dated 23.2.99

Copy together with a copy of the certified Annual Accounts, the Audit Report and the Audit Certificate forwarded to Shri Sunil Kumar Rai, Administrative Officer (Rep-AB) office of the Comptroller and Auditor General of India, Bahadur Singh Zafar Marg, New Delhi with reference to Headquarter's Office letter No. 441-Report (Health Deptt.)/240-98 dated 10.12.98.

A Statement incorporating replies to Headquarter's comments/observations is enclosed.

This is issued with the approval of DACR.

Sd/-

Director of Audit
(Inspection)

Encl. : As above.

Audit Report on the Accounts of the Central Council of Indian Medicine, New Delhi for the year 1997-98

1. Introduction

The Central Council of Indian Medicine New Delhi was established in 1971 under the Indian Medicine Central Council Act, 1970 with the objects of prescribing minimum standards of education for courses in Indian System, maintenance of Central Register of Indian Medicine etc. and other matters connected therewith.

As required under Rule 86 of the Council's Regulation, 1977 made under Indian Medicine Central Council Act, 1970, the accounts of the Council are audited under Section 19(2) of the Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971.

The Council is financed mainly by grants from Government of India. The Council received grants amounting to Rs 42 lakh under Non-Plan and Rs 27 lakh under Plan during the year 1997-98.

2. Comments on Accounts

2.1 Depreciation on assets

The assets accounts depict book value of acquisition and do not exclude obsolete, unusable, irreparable and condemned assets and also do not take into account depreciation with corresponding reduction of capital account. Therefore the capital and asset accounts are overstated accordingly thereby not giving the correct picture.

2.2 Bank Reconciliation

As per Rule 13.5 of the Central Government Receipt and Payment Rules 1983, reconciliation of bank statement at the close of each month/year is one of the important duties of the Drawing and Disbursing Officer. Any delay in reconciliation may result in frauds and misappropriation escaping notice of the management. In absence of such reconciliation the correctness of cash at bank vis-a-vis closing balance in the cash book shown in accounts could not be verified.

**Director General of Audit
Central Revenues**

Place :- New Delhi
Date :- 23.2.99

Audit Certificate

I have examined the Receipt and Payments Account/Income and Expenditure Account for the year ended 31st March 1998, and the Balance Sheet as on 31st March, 1998 of the Central Council of Indian Medicine, New Delhi. I have obtained all the information and explanations that I have required, and subject to the observations in the appended Audit Report, I certify, as a result of my audit, that in my opinion these accounts and Balance Sheet are properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of the state of affairs of the Central Council of Indian Medicine, New Delhi according to the best of information and explanations given to me and as shown by the books of the organisation.

**Sd/-
Director General of Audit
Central Revenues**

Place : New Delhi
Date : 23.2.99

**CENTRAL COUNCIL OF
NEW**

RECEIPTS & PAYMENTS ACCOUNTS

RECEIPTS	NON PLAN		PLAN	
	AMOUNT	AMOUNT	AMOUNT	AMOUNT
OPENING BALANCE AS ON 1.4.97				
Cash in hand	21,724			
Cash at Bank	<u>1,42,117</u>	1,63,841.00	<u>99,875</u>	99,875
Grant-in-aid received from Ministry of Health & Family Welfare, New Delhi during 1997-98		42,00,000.00		27,00,000
RECOVERY OF ADVANCES				
Festival Advance	13,260			
Scooter Advance	6,120			
House Building Advance	<u>20,400</u>	39,780		
MISCELLANEOUS REMITTANCES				
General Provident Fund	3,80,322			
Income Tax	16,388			
Postal Life Insurance	<u>41,976</u>	4,38,686.00		
RECEIPTS OTHER THAN GRANT- IN-AID				
Pension Contribution	3,712.00			
Pension Contribution	3,712.00			
C.G.H.S. Subscription from employees	2,260.00			
G.P. Fund Interest	3,303.48			
Staff Car Recovery from Employees	<u>400.00</u>	13,085.48		
RECOGNITION FEE				
Fee - 1992-93 to 1996-97	1,45,000			
Fee - 97-98	18,78,000			
Fee - New Colleges 1997-98	8,70,000			
Fee - Received in excess 1997-98	<u>1,35,000</u>	30,28,000.00		
Balance C/F		<u>78,83,392.48</u>		<u>27,99,875</u>

**INDIAN MEDICINE
DELHI**

FOR THE ENDED YEAR 31ST MARCH, 1998

PAYMENTS	NON PLAN		PLAN	
	AMOUNT	AMOUNT	AMOUNT	AMOUNT
1. PAY & ALLOWANCES				
Pay of Officer		36,775		
Pay of Establishment		6,08,607		
Non Practising Allowance		17,400		
Post Graduate Allowance		2,400		
Dearness Allowance		8,89,073		
House Rent Allowance		1,58,784		
City Compensatory Allowance		25,776		
Interim Relief I		34,474		
Interim Relief II		52,182		
Interim Relief III		52,182		
Conveyance Allowance		1,724		
Washing Allowance		1,605		
Bonus		65,529		
Tuition Reimbursement		1,500		
Medical Reimbursement		8,447		
C.G.H.S. Contribution		38,368		
Leave Travel Concession		9,456		
Wages to Employees		29,280		
Overtime Allowance		24,437		
Transport Allowance		5,200		
Arrear of Pay Commission		<u>2,51,836</u>	23,15,035.00	
2. CONTINGENCIES				
(a) Non Recurring Nature				
Furniture & Fixture		4,598		92,570
Office Equipment		12,005		
Books for Library			16,603.00	
			<u>95,282</u>	<u>1,87,852</u>
Balance C/F		<u>23,31,638</u>		<u>1,87,852</u>

Balance B/F .

Advance of Postage 1996-97

78,83,392.48

27,99,875

5,000.00

TOTAL

78,88,392.4827,99,875

Balance B/F

23,31,638.00

1,87,852

(b) Recurring Nature

Stationery				
Telephone	70,861			
Postage & Telegram	1,10,530		38,625	
Newspapers &	33,114		—	
Periodical Books			10,000	
Liveries Expenses	5,644		—	
Audit Fee	10,284		—	
Legal Expenses	42,700		—	
Advertisement	1,01,550		—	
Maintenance of Office Equipment	15,909		—	
Staff Car Expenses	26,759		1,11,600	
Computer Expenses	35,483		—	
Publication	10,500		—	
Conveyance Expenses	2,24,510		—	
Miscellaneous Expenses	11,964		—	
	<u>1,11,303</u>	8,11,111.00	<u>1,96,483</u>	3,56,708

3. TRAVEL EXPENSES

President/Vice President	36,007			
Secretary/Establishment	79,839		—	
Selection/DPC Committee	21,126		—	
Executive Committee	1,83,473		—	
Regulation Committee	20,643		—	
Sub Committee	2,60,840		—	
Visiting Committee	11,43,824		18,374	
Members of Central Council	4,19,666		—	
Workshops of Ayurved & Unani Seminar	—		—	
	—	21,65,418.00	<u>10,71,877</u>	17,13,014

4. ADVANCES TO EMPLOYEES

Festival Advance	15,600			
House Building Advance	<u>59,000</u>	74,600.00		

5. RECOGNITION FEE REFUND TO COLLEGES

30,000.00

6. CONTRIBUTION TOWARDS PENSION FUND

8,80,750.00

7. MISCELLANEOUS REMITTANCES

General Provident Fund	3,80,322			
Income Tax	16,388			
Postal Life Insurance	<u>41,976</u>	4,38,686.00		

8. CLOSING BALANCE AS ON 31-3-1998

Cash in hand	63,644.00			
Cash at Bank	10,85,372.48		—	
Postage Stamp	<u>7,173.00</u>	11,56,189.48	<u>5,42,301</u>	5,42,301

TOTAL

78,88,392.4827,99,875

**CENTRAL COUNCIL OF
NEW**

INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNTS

EXPENDITURE	NON-PLAN		PLAN	
	AMOUNT	AMOUNT	AMOUNT	AMOUNT
1. PAY AND ALLOWANCE				
Pay of Officers	36,775			
Pay of Establishment	6,08,607			
Non Practising Allowance	17,400			
Post Graduate Allowance	2,400			
Dearness Allowance	8,89,073			
House Rent Allowance	1,58,784			
City Compensatory Allowance	25,776			
Interim Relief-I	34,474			
Interim Relief-II	52,182			
Interim Relief-III	52,182			
Conveyance Allowance	1,724			
Washing Allowance	1,605			
Bonus	65,529			
Tuition Reimbursement	1,500			
Medical Reimbursement	8,447			
CGHS Contribution	38,368			
Leave Travel Concession	9,456			
Wages to Employees	29,280			
Overtime Allowance	24,437			
Transport Allowance	5,200			
Arrears of Pay Commission	2,51,836	23,15,035.00		
2. CONTINGENCIES				
Stationary	70,861		38,625	
Telephones	1,10,530		—	
Postage & Telegramme	33,114		10,000	
Newspapers & Periodical Books	5,644		—	
Balance C/F	2,20,149	23,15,035.00	48,625	—

**INDIAN MEDICINE
DELHI**

FOR THE ENDED YEAR 31ST MARCH, 1998.

INCOME	NON-PLAN		PLAN	
	AMOUNT	AMOUNT	AMOUNT	AMOUNT
Grant-in-aid received from Ministry of Health & Family Welfare, New Delhi during 1997-98	42,00,000		27,00,000	
Less-Grant Capitalise	16,603	41,83,397.00	1,87,852	25,12,148
MISCELLANEOUS RECEIPTS				
CGHS Subscription from Employees	2,260.00			
Leave Salary Contribution	3,410.00			
Pension Contribution	3,712.00			
G.P. Fund Interest	3,303.48			
Staff Car recovery from Employee	400.00	13,085.48		—
Recognition fee recoverable for 1997-98		36,40,000.00		—
Balance C/F		78,36,482.48		25,12,148

Balance C/F	2,20,149	23,15,035.00	48,625	
Liveries Expenses	10,284		—	
Audit Fee	42,700		—	
Legal Expenses	1,01,550		—	
Advertisement	15,909		1,11,600	
Maintenance of Office Equipment	26,759		—	
Staff Car Expenses	35,483		—	
Computer Expenses	10,500		—	
Publication	2,24,510		—	
Conveyance Expenses	11,964		—	
Miscellaneous Expenses	<u>1,11,303</u>	8,11,111.00	<u>1,96,483</u>	3,56,708
3. TRAVEL EXPENSES				
President/Vice President	36,007		—	
Secretary/Establishment	79,839		—	
Selection/DPC Committee	21,126		—	
Executive Committee	1,83,473		—	
Regulation Committee	20,643		—	
Sub Committee	2,60,840		18,374	
Visiting Committee	11,43,824		—	
Members of Central Council	4,19,666		—	
Workshop of Ayurved & Unani	—		10,71,877	
Seminar	<u>—</u>	21,65,418.00	<u>6,22,763</u>	17,13,014
4. Recognition Fee refund to Colleges		30,000.00		—
5. Contribution toward Pension Fund		8,80,750.00		—
6. Excess of Income over Expenditure		16,34,168.48		4,42,426
TOTAL		<u>78,36,482.48</u>	<u>25,12,148</u>	

Balance B/F	78,36,482.48	25,12,148
TOTAL	<u>78,36,482.48</u>	<u>25,12,148</u>

**CENTRAL COUNCIL
NEW DELHI**

BALANCE SHEET AS

LIABILITIES	NON PLAN		PLAN	
	AMOUNT	AMOUNT	AMOUNT	AMOUNT
GENERAL RESERVE				
Assets acquired the day of Estt.				
As per last Balance Sheet		20,080.15		—
Assets acquired out of Grant-in-Aid				
As per last Balance Sheet	5,09,880.30		5,60,906.32	
Redemption 1996-97	65,503.78		2,32,159.62	
	4,44,376.52		3,28,746.70	
Addition during the year	16,603.00		1,87,852.00	
	4,60,979.52		5,16,598.70	
Transferred during the year	3,28,746.70	7,89,726.22	3,28,746.70	1,87,852
Balance C/F		8,09,806.37		1,87,852

**OF INDIAN MEDICINE
DELHI**

ON 31ST MARCH, 1998

ASSETS	NON PLAN		PLAN	
	AMOUNT	AMOUNT	AMOUNT	AMOUNT
(A) NON-RECURRING NATURE				
(1) Furniture & Fixture				
As per last Balance Sheet	1,93,880.65		42,687.76	
Less : Transferred to office equipment	36,620.00		—	
	157,260.65		42,687.76	
Redemption 1996-97	17,409.85		—	
	1,39,850.80		42,687.76	
Addition during the year	4,598.00		92,570.00	
	1,44,448.80		1,35,257.76	
Transferred during the year	49,248.16	1,93,696.96	42,687.76	92,570
(2) Air Cooling Appliances				
As per last Balance Sheet	23,640.73		26,789.80	
Less : Transferred to Office equipment	1,300.00		—	
	—		26,789.80	
Redemption 1996-97	—	22,340.73	26,789.80	—
(3) Books for Library				
As per last Balance Sheet	30,574.91		—	
Addition during the year	—	30,574.91	95,282.00	95,282
(4) Office Equipment				
As per last Balance Sheet	2,81,864.16		4,91,428.76	
Add : Transferred from Furniture & Fixture & Air Cooling Appliances	37,920.00		—	
Balance C/F	3,19,784.16	8,09,806.37	4,91,428.76	1,87,852

Balance B/F		8,09,806.37		1,87,852
Excess of Income over Expenditure				
As per Last Balance Sheet	18,75,119.00		1,19,835	
Addition during the year	<u>16,34,168.48</u>	35,09,287.48	<u>4,42,426</u>	5,62,261
Recognition Fee				
As per last Balance Sheet	1,59,000.00			
Less : Adjusted in year	<u>1,13,000.00</u>			
	46,000.00			
Addition during the year	<u>1,35,000.00</u>	1,81,000.00		

TOTAL

45,00,093.857,50,113

Balance B/F	3,9784.16	8,09,806.37	4,91,428.76	1,87,852
Redemption 1996-97	<u>48,093.93</u>		<u>2,05,369.82</u>	
	2,71,690.23		<u>2,86,058.94</u>	
Addition during the year	<u>12,005.00</u>			
	2,83,695.23		<u>2,86,058.94</u>	
Transferred during the year	<u>2,79,498.54</u>	5,63,193.77	<u>2,86,058.94</u>	
(B) RECURRING NATURE				
1. Telephone				
As per last Balance sheet	<u>9,228.00</u>	9,228.00	19,960.00	19,960
2. Festival Advance				
As per last Balance Sheet	11,280.00			
Addition during the year	<u>15,600.00</u>			
	26,880.00			
Recovery during the year	<u>13,260.00</u>	13,620.00		
3. Scooter Advance				
As per last Balance Sheet	16,170.00			
Recovery during the year	<u>6,120.00</u>	10,050.00		
4. House Building Advance				
As per Last Balance Sheet	1,99,600.00			
Addition during the year	<u>59,000.00</u>			
	2,58,600.00			
Recovery during the year	<u>20,400.00</u>	2,38,200.00		
5. Advance Postage				
As per Last Balance Sheet	5,000.00			
Redemption during the year	<u>5,000.00</u>			
6. Recognition Fee				
As per Last Balance Sheet	16,29,000.00			
Less : Recovery	1,45,000			
Adjusted	<u>1,13,000</u>	2,58,000.00		
		13,71,000.00		
Addition during the year	<u>8,92,000.00</u>	22,63,000.00		
7. Closing Balance as on 31.3.1998				
Cash in hand	63,644.00			
Cash at Bank	10,85,372.48		5,42,301	5,42,301
Postage Stamp	<u>7,173.00</u>	11,56,189.48		
TOTAL		<u>45,00,093.85</u>	<u>7,50,113</u>	

**CENTRAL COUNCIL OF
NEW
GENERAL PROVIDENT
RECEIPTS & PAYMENTS ACCOUNTS**

RECEIPTS	AMOUNT	AMOUNT
Opening Balance as on 1.4.97 in Saving Bank Account		2,24,798.28
Subscription by Employees	2,40,212	
Recovery of Loan form Employees	<u>1,40,050</u>	3,80,262.00
Short Term Deposit matured		90,000.00
Interest earned from Bank	1,44,230.48	
Less : Transferred to Council Account	<u>3,303.48</u>	1,40,927.00
TOTAL		<u><u>8,35,987.28</u></u>

**INDIAN MEDICINE
DELHI
FUND
FOR THE ENDED YEAR 31ST MARCH, 1998**

PAYMENTS	AMOUNT	AMOUNT
Advance to Employees	2,92,900.00	
Part/Final withdrawal to Employees	<u>2,96,216.00</u>	5,89,116.00
Investment in Short Term Deposits in Bank		1,90,000.00
Bank Charges		25.00
Closing Balance as on 31.3.1998 in Saving Bank Account with State Bank of India		56,846.28
TOTAL		<u><u>8,35,987.28</u></u>

**CENTRAL COUNCIL OF
NEW
GENERAL PROVIDENT
BALANCE SHEET AS ON**

1996-97	LIABILITIES	AMOUNT	AMOUNT
17,43,898.28	As per last Balance Sheet	14,78,248.28	
	ADDITION DURING THE YEAR		
2,37,541.00	Subscription	2,40,212.00	
1,72,822.00	Interest	1,40,927.00	
21,54,261.28		18,59,387.28	
6,76,013.00	Less: Redeemed	2,96,241.00	15,63,146.28
<u>14,78,248.28</u>			
<u>14,78,248.28</u>	TOTAL		<u>15,63,146.28</u>

**INDIAN MEDICINE
DELHI
FUND
31ST MARCH, 1998**

1996-97	ASSETS	AMOUNT	AMOUNT
	1. INVESTMENTS		
	(a) Special Deposit Scheme		
1,70,500.00	As per last Balance Sheet		1,70,500.00
<u>1,70,500.00</u>	(b) Double Benefit/Short Term Deposits		
13,00,000.00	As per last Balance Sheet	9,00,000.00	
9,00,000.00	Addition during the year	1,90,000.00	
22,00,000.00		10,90,000.00	
13,00,000.00	Less: Redeemed	90,000.00	10,00,000.00
<u>9,00,000.00</u>			
	2. Advances to Employees		
2,21,730.00	As per Last Balance Sheet	1,82,950.00	
1,55,900.00	Addition during the year	2,92,900.00	
3,77,630.00		4,75,850.00	
1,94,680.00	Less: Recovery during the year	1,40,050.00	3,35,800.00
<u>1,82,950.00</u>			
	3. Closing Balance as on 31.3.98 in Saving Bank Accounts		
2,24,798.28			56,846.28
<u>2,24,798.28</u>			
<u>14,78,248.28</u>	TOTAL		<u>15,63,146.28</u>

**CENTRAL COUNCIL OF
NEW
PENSION-CUM-
RECEIPTS & PAYMENTS ACCOUNTS FOR**

RECEIPTS	AMOUNT	AMOUNT
Opening Balance as on 1-4-97 in Saving Bank Account with Bank of India	2,06,606.40	
State Bank of India	<u>6,049.30</u>	2,12,655.70
Contribution during the year		8,80,750.00
Interest earned from Bank Short Term Deposits Matured		1,48,124.00 4,00,000.00
TOTAL		<u><u>16,41,530.10</u></u>

**INDIAN MEDICINE
DELHI
GRATUITY FUND
THE ENDED YEAR 31ST MARCH, 1998**

PAYMENTS	AMOUNT
Monthly Pension to Employees	1,65,305.00
Final Payment to Employees	45,923.00
Investment in Short Term Deposits	8,87,960.00
Bank Charges	65.00
Closing Balance as on 31-3-98 in Saving Bank Account with State Bank of India	5,42,277.10
TOTAL	<u><u>16,41,530.10</u></u>

**CENTRAL COUNCIL OF
NEW
PENSION-CUM-
BALANCE SHEETS AS**

1996-97	LIABILITIES	AMOUNT	AMOUNT
10,53,428.50	As per last Balance Sheet	6,12,655.70	
42,250.00	Addition during the year	8,80,750.00	
40,289.20	Interest	1,48,124.40	
<u>11,35,967.70</u>		<u>16,41,530.10</u>	
5,23,312.00	Less: Redeemed	<u>2,11,293.00</u>	14,30,237.10
<u>6,12,655.70</u>			
<u>6,12,655.70</u>	TOTAL		<u>14,30,237.10</u>

**INDIAN MEDICINE
DELHI
GRATUITY FUND
ON 31ST MARCH, 1998.**

1996-97	ASSETS	AMOUNT	AMOUNT
	Investments		
9,50,000.00	As per last Balance Sheet	4,00,000.00	
3,50,000.00	Addition during the year	8,87,960.00	
<u>13,00,000.00</u>		<u>12,87,960.00</u>	
9,00,000.00	Less: Redeemed	<u>4,00,000.00</u>	8,87,960.00
<u>4,00,000.00</u>			
<u>2,12,655.70</u>	Closing Balance as on 31-3-98		
2,12,655.70	in Saving Bank Account		5,42,277.10
<u>6,12,655.70</u>	TOTAL		<u>14,30,237.10</u>